संघर्ष संवाद

मार्च 2017 नई दिल्ली

उत्तराखण्ड

- अवैध खनन से तबाह होती पिथौरागढ़ की नया देश पट्टी

राजस्थान

- बांगड़-बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री के लिए नवलगढ़ में जबरन जमीन खाली कराएगी बीजेपी सरकार : 2371 दिनों से धरने पर बैठे है किसान
- बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में झुंझुनू के किसानों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन; विधान सभा घेराव का ऐलान
- साझा संघर्ष ने दिलाई करवास के किसानों को भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध जीत
- मोदी जी, ये ज़मीन की नीलामी नहीं किसानों की लाशों का कारोबार है !
- बाड़मेर में चारागाह-तालाब शमशान की 400 बीघा जमीन विद्युत सब स्टेशन के लिए आवंटित; विरोध में स्थानीय लोग एकजुट
- अजमेर में एयरपोर्ट के विरोध में प्रदर्शन, गले में तख्तियां लटकाए गायें भी उतरी मैदान में

छत्तीसगढ़

- चुनिन्दा कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए कोयला मंत्रालय ने खोला पिछले दरवाज़े का रास्ता : छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन

ओडिशा

- बिड़ला, हिंडाल्को के खिलाफ 15 वर्षों से कोरापूट के आदिवासियों का बहादुराना प्रतिरोध

महाराष्ट्र

- गडचिरौली में विस्थापन विरोधी संघर्ष को मजबूत बनाने का ऐलान

झारखण्ड

- 60 साल से विस्थापित आदिवासियों से धोखा : शोषण की नींव पर खड़ा है बोकारो इस्पात संयंत्र
- भाजपा सरकार ने अडाणी को दी 1700 एकड़ जमीन, विरोध में स्थानीय आदिवासियों ने जमीन नहीं देने का संकल्प दोहराया
- प्राकृतिक संसाधन के असीमित लूट की हवस का परिणाम है ललमटिया खदान हादसा
- आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए हुए कानूनों में संशोधन के खिलाफ एकताबद्ध झारखंडी आवाम
- डिमना बांध : टाटा के विरोध में विस्थापितों का अनशन

उत्तर प्रदेश

- बिना मुआवजा दिए, ज़मीन से बेदखल किसानों पर पुलिसिया जुल्म : नेवली थर्मल पॉवर प्लांट के लिए जमीन की लूट पर पीयूसीएल की रिपोर्ट

गुजरात

- नर्मदा नहर का पानी उद्योगों को और किसानों को पानी की मांग के बदले लाठी

मध्य प्रदेश

- ये प्यास कब बुझेगी : नर्मदा का हर रोज 18 लाख लीटर पानी निगलेगा कोका कोला !
- चुटका परमाणु पॉवर प्लांट के खिलाफ शुरू हुआ सदबुद्धि सत्याग्रह
- आर्यन पॉवर प्लांट के लिए किये गए फ़र्जी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसान एकजुट
- नर्मदा घाटी के विस्थापितों ने फिर शुरू किया सत्याग्रह
- 19 साल अदालत के चक्कर काटने के बाद मिला मुलताई के किसानों को न्याय

पश्चिम बंगाल

- भानगढ़ में 40000 किसान कृषि भूमि पर जबरन पॉवर ग्रिड लगाए जाने के विरुद्ध एकजुट

दिल्ली

- वनाधिकार कानून की 10वीं वर्षगांठ पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशाल जन रैली
- झारखण्ड में सी एन टी व एस पी टी एक्ट में संशोधन के विरोध में जनसंगठनों का जंतर-मन्तर पर प्रदर्शन

हरियाणा

- गोरखपुर परमाणु परियोजना के विरोध में यात्रा

बिहार

- बागमती बांध परियोजना के खिलाफ अनशन का 6वां दिन : बिना मांगे पूरी किए बांध का निर्माण नहीं होने देने का ऐलान

उत्तराखंड

अवैध खनन से तबाह होती पिथौरागढ़ की नया देश पट्टी

हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में उतरी उतराखंड की हर राजनीतिक पार्टी ने राज्य के विकास के बड़े-बड़े दावे किए। लेकिन असल सवाल विकास का नहीं विकास के मायने का है। तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जा रहे इस विकास के नारे के केंद्र में दरअसल उत्तराखंड की आम जनता नहीं, बल्कि वहां के संसाधनों से मुनाफा कमा रहे उद्योगपति तथा ताकतवर लोग हैं, और इसका एक स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है पिथौरागढ़ जिले के भूनाकोट ब्लॉक से 8 किमी. के दायरे के अनेकों गांवों में जहां के खेत, जल स्रोत से लेकर पर्यावरण तक सब कुछ अवैध खनन की वजह से बर्बाद हो रहा है। स्थानीय जनता के तमाम प्रतिरोधों के बावजूद यह खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसे संरक्षण प्राप्त है स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य तथा केंद्र स्तरीय मंत्रियों का। हम यहां पर आपके साथ इस इलाके में हो रहे अवैध खनन और उसकी वस्तुगत परिस्थिति पर एक रिपोर्ट साझा कर रहे है;

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के भूनाकोट ब्लॉक से 8 किमी. की दूरी पर स्थित अनेक गांव पिछले कई वर्षों से अवैध खनन की विभीषका झेल रहे हैं। बसेड़ा जागपत, लेलू, कुसौली, कुंडार, बांदनी इत्यादि गांवों में अवैध खनन की वजह से पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। खनन से निकलने वाला मलबा जाके खेतों में जमा हो जाता है जिससे खेती की जमीन पूरी तरह से नष्ट हो जा रही है। इस खनन की वजह से इलाके के अधिकांश जल स्रोत सूख चुके हैं। पहले से ही पेय जल की समस्या से जूझ रहे उत्तराखंड के निवासियों के लिए यह अवैध खनन उनके जल स्रोतों के लिए अभिशाप बन चुका है।

निरंतर खनन पहाड़ों को खोखला कर रहा है जो एक मानवजनित आपदा को जन्म दे सकता है। प्रत्येक खनन क्षेत्र से प्रतिदिन औसतन 10-12 ट्रक रेता निकाला जाता है। निकाले जाना वाला पत्थर स्थानीय स्तर के हर तरह के निर्माण कार्य के काम आता है साथ ही सरकारी योजनाओं जैसे नरेगा या फिर सड़क निर्माण इत्यादि में इसी पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिना किसी खास लागत के होने वाला यह खनन इन खनन माफियाओं को शुद्ध मुनाफा और इस क्षेत्र की जनता को विनाशकारी स्थिति दे रहा है। अपने इस मुनाफे का फायदा उठाकर इन खनन माफियाओं ने स्थानीय प्रशासन से लेकर विधान सभा तक सभी को खरीद रखा है और बेधड़क पहाड़ के पहाड़ तबाह किए जा रहे हैं।

इस खनन के खिलाफ इस इलाके के लोग पिछले कई सालों से संघर्षरत हैं किंतु इन तमाम विरोधों के बावजूद इस क्षेत्र में प्रशासन खनन माफियाओं के साथ मिलकर खनन के पट्टे बड़े आराम से बांट रहा है। इन अवैध खनन माफियाओं को न केवल स्थानीय प्रशासन से सहयोग मिल रहा है बल्कि इसमें विधायक तथा राज्य स्तर के मंत्री भी शामिल हैं। एक स्थानीय निवासी राजेश के अनुसार इलाके का विधायक मयूख महर खुद एक बड़ा खनन माफिया है जो कई स्थानों पर निजी स्तर पर अवैध खनन करवाता है। और इसी का परिणाम है कि स्थानीय जनता द्वारा इन खनन माफियाओं के विरुद्ध किया जा रहा विरोध-प्रतिरोध बहरे कानों पर पड़ रहा है।

जाखपंत के निवासी देवेंद्र पंत ने बताया कि पिछले 10 साल से इस इलाके की स्थानीय जनता नया देश जनमंच के बैनर तले इन अवैध खनन माफियाओं तथा प्रशासन के गठजोड़ के खिलाफ संघर्ष कर रही

है। जनता के इन संघर्षों के दबाव के चलते जाखपत में नवंबर 2016 में प्रशासन को मजबूर होकर खनन के काम पर रोक लगानी पड़ी। किंतु यह सफलता ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई। जल्द ही खनन कार्य फिर से शुरु हो गया बस अंतर यह था कि अब यह खनन माफिया पहले की तरह से पूरी दबंगई के साथ खनन को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। इस घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आया जब रोक के तुरंत बाद अचानक से आंदोलन का पूरा नेतृत्व पीछे हट गया। स्थानीय निवासियों का मानना है कि दबाव को देखते हुए नेतृत्वकारी लोगों को डराया धमकाया गया है जिसकी वजह से वह अब खुल कर सामने नहीं आ पा रहे हैं।

खनन के दुबारा शुरु होने पर लोगों ने स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक लोगों ने गुहार लगाई लेकिन किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए एक पत्र पर प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा राज्य के खनन विभाग के मुख्य सचिव को तुरंत कार्रवाई का निर्देश भी जारी किया गया किंतु दो हफ्ते बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई की शुरुआत तक नहीं की गई है।

गांव वालों से बात करने पर पता चला कि अवैध खनन की मंजूरी के लिए पट्टा लेते समय भू-गर्भ विज्ञानी से लेकर आपदा नियंत्रण विभाग तक सभी की तरफ से अनापत्ति प्रमाण पत्र आराम से मिल जाता है। हालत तो यह है कि किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी पट्टा लिए जा रहे क्षेत्र का दौरा तक नहीं करता है। इसी में यह भी पता चला कि लेलू गांव में तो हालत यह है कि खनन के लिए पट्टा तक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां सिर्फ स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को रिश्वत देकर किसी भी जगह पर खनन शुरु करवाया जा सकता है वह भी राज्य स्तरीय संरक्षण के तहत।

यह अवैध खनन जहां एक तरफ इन इलाकों की आजीविका और पर्यावरण नष्ट कर रहा है वहीं दूसरी तरफ यह यहां के माहौल को भी खराब कर रहा है। जहां एक तरफ स्थानीय महिलाओं के लिए यह एक सुरक्षा का प्रश्न बन चुका है वहीं दूसरी तरफ खनन के साथ-साथ स्थानीय युवाओं में नशे की लत में भी वृद्धि हो रही है।

गांव के लोगों के ने बताया कि जहां गांव से लगे जंगलों से महिलाएं महीने में सिर्फ दस दिन लकड़ी ले सकती हैं वहीं दूसरी तरफ खनन में लगे ठेकेदारों को जंगल से लगातार मुफ्त लकड़ी मिलती है। उत्तराखंड सराकर का स्वच्छता पर पूरा जोर रहता है किंतु खनन के लिए बाहर से लाए गए मजदूरों के लिए शौचालय जैसी कोई सुविधा नहीं जिसके परिणाम स्वरूप आस-पास के गधेरे और जल स्रोतों का इन मजदूरों द्वारा शौच के लिए इस्तेमाल करने की वजह से गंदगी भी बढ़ रही है।

लंबे संघर्षों के बाद जब उत्तराखंड का पृथक राज्य के रूप में गठन हुआ तो यहां के स्थानीय निवासियों ने अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुनहरे भविष्य का सपना देखा था, किंतु इस सपने की हकीकत एक अलग तस्वीर के रूप में उभर कर आई। उत्तराखंड के दूर-दराज के गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं वहीं दूसरी तरफ राज्य में आसीन हर सरकार निरंतर देशी-विदेशी निवेशकों को यहां निवेश करने के लिए हर छूट उपलब्ध करवा रही है। उत्तराखंड के हर कोने में आज बड़े बांधों से लेकर पहाड़ों को काटकर होटल रिजॉर्ट इत्यादि अंधा-धुंध तरीके से बन रहे हैं। उद्योगपतियों के मुनाफे की निरंतर बढ़ती हवस को पूरा करने के लिए पहाड़ों को काटकर किया जा रहा यह निर्माण कार्य पहाड़ों को पूरी तरह से खोखला कर रहा है और इसमें सहयोग मिल रहा है राज्य तथा केंद्र सरकार की कॉर्पोरेट पक्षधर नीतियों का। राज्य और कॉर्पोरेट गठजोड़ से उत्तराखंड के पहाड़ों की तबाही का एक मंजर हमने 2013 में आई आपदा के रूप में हमने देखा और जिसकी कीमत चुकाई वहां की स्थानीय जनता ने। विकास के नाम पर चल रहा यह खेल यदि जल्द ही न रोका गया तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत जल्द उत्तराखंड विनाश के ऐसे कगार पर खड़ा होगा जिसे रोक पाना असंभव होगा।

राजस्थान

बांगड़-बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री के लिए नवलगढ़ में जबरन जमीन खाली कराएगी बीजेपी सरकार : 2371 दिनों से धरने पर बैठे है किसान

राजस्थान के नवलगढ़ जिले में किसान पिछले दस सालों से अपने क्षेत्र में लगने वाली तीन सीमेंट फैक्ट्रियों के विरुद्ध संघर्षरत है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए इस क्षेत्र की उपजाऊ जमीन को बंजर घोषित कर जमीन सीमेंट फैक्ट्रियों को दे कर किसानों के लिए जबरन मुआवजा घोषित कर दिया। जबकि इस क्षेत्र के किसान किसी भी कीमत पर अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते और वह पिछले दस सालों से नवलगढ़ किसान संघर्ष समिति के तहत संगठित होकर इस जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं।

इस मामले में नया मोड़ तब आया जब 20 फरवरी को जिले के कलेक्टर ने अधिकारियों को किसानों से जमीन किसी भी सूरत में खाली करवाने के आदेश दे दिए। कलेक्टर ने कहा कि यदि किसान समझाने पर न माने तो पुलिस की मदद से जमीन जबरन खाली करवाई जाए। कलेक्टर के इस आदेश से क्षेत्र के किसान भड़के हुए हैं। किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि सरकार जबरन जमीनें खाली करवाएगी तो किसान भी इसका कड़ा प्रतिरोध करेंगे। 23 फ़रवरी को भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति नवलगढ ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है जिसमे किसानों ने एक बार फिर जमीन नहीं देने का वादा दोहराया । पेश है भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति, नवलगढ की प्रेस विज्ञप्ति;

भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति नवलगढ से जुड़े किसानों की मिटिंग आज तहसील कार्यालय के सामने धरना स्थल पर केप्टन दीप सिंह गोठडा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें सैंकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। बैठक को संयोजक के अलावा कैप्टन मोहनलाल, सीपीओ रामदेव सिंह, संजय बासोतिया, गोवर्धन सिंह निठारवाल, श्री राम डूडी, कैलाश यादव, श्री चंद डूडी, सतीश भींचर, श्री कांत पारीक, ओम प्रकाश ढाका, माम चंद दूत, चुन्नी लाल भूकर, पोकर सिंह झाझडिया, ऊमर फारूख खत्री, चिमन सिंह दूत, महिपाल सिंह तोगडां आदि ने सभा को संबोधित किया।

लगभग सभी वक्ताओं ने जिला कलेक्टर के द्वारा यह कहना कि जो किसान अपनी मर्ज़ी से सीमेंट कम्पनियों को जमीन नहीं देते हैं उनको पुलिस के द्वारा जबरन खाली कराई जायेगी कि जोरदार शब्दों में निंदा की। ओर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी नवलगढ को ज्ञापन दिया जिसमें साफ उल्लेख किया गया है कि अगर बिना किसानों की सहमति के उनकी जमीन व घर जबरन छीनने की कोशिश की तो यहां जानमाल के नुकसान की पूरी संभावना है जिसके लिए स्वंय प्रसाशन जिम्मेवार होगा। समिति संयोजक ने कहा कि जिला कलेक्टर को किसानों की खुली मिटिंग लेकर आमने-सामने बात करनी चाहिए कि उनके क्या परेशानी है। ताकि दूध का दूध व पानी हो जाये क्यों इस तरह के हिटलर शाही फरमान जारी करके किसानों को डराया जा रहा है।

कलेक्टर के इस आदेश का इलाके में काम कर रहे भाकपा माले, माकपा तथा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधियों ने कड़ी निंदा करते हुए कहा यह राज्य सरकार की किसानों से जमीन छीन कर औद्योगिक घरानों को सौंप देने की नीति है। इसे जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों के इस संघर्ष में जनता चुप नहीं बैठेगी।

बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में झुंझुनू के किसानों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में बिजलीदरों में बढ़ोतरी, मनमर्जी से लोड बढ़ाने, गलत वीसीआर भरने के विरोध में बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की ओर से 3 फरवरी 2017 को झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर किसानों ने प्रदर्शन किया । किसानों ने बिजली दरें कम करें, नवलगढ़ में बागड़-बिरला के प्रस्तावित सीमेंट प्लाटों को रद्द करने, किसानों को निशुल्क बिजली देने, किसानों का कर्ज माफ करने, किसानों को समय पर लोन देने, आवारा पशुओं से किसानों की फसल बचाने की मांग की। झुंझुनूं से रामचन्द्र कुल्हरी की रिपोर्ट;

3 फरवरी 2017, को झुंझुनू जिला कलेक्टर कार्यालय पर बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के द्वारा बिजली दरों की बढ़ोतरी के खिलाफ बुलाई गई किसानों की विरोध सभा में हजारों किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ। विशाल किसान सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड रुलदू सिंह ने केंद्र व राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विस्तार से हवाला देते हुए कहा कि सरमायदारों के हित में बनाई गई नीतियों की वजह से खेती तबाही की तरफ धकेली जा रही है उसकी वजह से लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं । कामरेड रुलदू सिंह ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि समय रहते सरकार चेत ले वरना पंजाब की तरह यहां का किसान भी सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगा। पंजाब की तरह यहां के किसानों को भी मुफ्त बिजली दी जा सकती है ।

विरोध सभा को अखिल भारतीय किसान सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड अमराराम ने किसानों से आह्वान किया कि वसुंधरा सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए कमर कस ले तथा विधान सभा घेराव के लिए जयपुर कूच के लिए तैयार रहें । सभा को अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य अध्यक्ष कामरेड पेमाराम, अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कामरेड रामचंद्र कुलहरि, भाकपा माले के जिला सचिव कामरेड फूलचंद ढेवा, सूरजगढ किसान संघर्ष समिति के रामोतार धोलिया, अलसीसर किसान संघर्ष समिति के गोकूलचंद सोनी, भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति के कप्तान दीप सिंह शेखावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह, से•नि• आई•ए•एस• जे•पी•चंदेलिया, किसान सभा के जिला अध्यक्ष कामरेड विदयाधर गिल, कामरेड फूलचंद बर्बर आदि कई नेताओं ने संबोधित किया तथा सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया।

सभा के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बिजली दरों की बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की माँग की। जिला कलेक्टर ने विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता व अधीक्षण अभियंता को बुलाकर संघर्ष समिति के नेताओं के साथ वार्ता करवाई तथा क्षेत्रीय मांगों को मानने के लिए बाध्य किया ।

साझा संघर्ष ने दिलाई करवास के किसानों को भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध जीत

28 जनवरी 2017; राजस्थान के जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील के करवास गांव और आसपास के गावों के ग्रामीणों ने एक इतिहास लिख कर अपने वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी बचा लिया। पुराने रबड़ के टायर जलाने की फैक्ट्री जब गांव में लगी थी तो ग्रामीणों को विकास औऱ रोजगार के सपने दिखा खुशहाली की बातें की गई थी, लेकिन इस फैक्ट्री से निकलने वाले धुंए और बदबू ने करवास ही नहीं आसपास के गावों के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। ग्रामीण इससे परेशान हो गये । इस फैक्ट्री को बन्द करवाने के लिये शासन से गुहार लगाई। समस्या के समाधान के बजाय आवाज उठाने वालों को ही धमकाने , डराने औऱ दमन के हथकंडे अपना इसे चालू रखा गया।

अवैध खनन से परेशान इलाके के गावों में संघर्ष कर रहे ग्रामीणों , सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ लोगों की पीड़ा साझा करने नर्मदा बचाओ आन्दोलन की अगुवाई कर रही मेधा पाटकर ,स्वामी अग्निवेश , हिमांशु कुमार ,योगेन्द्र यादव ,कविता श्रीवास्तव आये। सूचना के अधिकार और रोजगार अभियान की जबाबदेही के लिए निखिल डे , शंकर सिंह के नेतृत्व मे इलाके से गुजरने वाली यात्रा से आयी चेतना का असर करवास के ग्रामीणों में हुआ।

करवास और आसपास के ग्रामीण एकजुट हुये और इस टायर जलाने वाली फैक्ट्री के विरोध मे संघर्ष की ठानी। फैक्ट्री के सामने ग्रामीणों ने धरना दिया , क्रमिक अनशन किया। पहले सरकार ने फैक्ट्री का बिजली कनेक्शन काट दिया फिर पर्यावरण स्वीकृति रद्द की ,किन्तु फिर भी ग्रामीण डटे रहे। अन्त में सरकार को फैक्ट्री की जमीन का भूमि रूपांतरण भी रद्द करना पड़ा । मानवाधिकार संगठन पी.यू.सी.एल.ने जांच रिपोर्ट तैयार की। मजदूर किसान संगठन , जनआन्दोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने ग्रामीणों के साथ हुये। धरने में महिलाओं ,बच्चों ने हिम्मत के साथ हिस्सेदारी की । साथी राधेश्याम यादव शुक्लाबास ने समन्वय ,नेतृत्व किया और ग्रामीण एकता के दम पर संघर्ष जीत गये।

इस संघर्ष मे सहयोग ,मार्गदर्शन करनेवाले सभी सामाजिक ,राजनैतिक कार्यकर्ताओं का आभार करते हुये उम्मीद करते हैं कि आप सभी का सहयोग औऱ मार्गदर्शन इलाके मे अवैध खनन से भयावह पैदा हुये हालातों ,जबरन भूमिअधिग्रहण के विरोध मे संघर्ष कर रहे ग्रामीणों को भी मिलेगा ।

मोदी जी, ये ज़मीन की नीलामी नहीं किसानों की लाशों का कारोबार

"बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार अबकी बार मोदी सरकार" के नारे के साथ 2014 में केंद्र में आयी मोदी सरकार के नारों और वायदों का खोखलापन ढाई साल में खुलकर सामने आ चुका है। 2015 में करीब 3000 किसानों ने आत्महत्या की थी जो कि अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इन बीते ढाई सालों में 3200 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। नवंबर के महीने में जब पूरा देश नोटबंदी से त्रस्त था ठीक उसी समय बड़ी ही बेशर्मी के साथ सरकार ने 63 उद्योगपतियों का 7016 करोड़ रुपए का ऋण एक झटके में माफ कर दिया जबकि हमारे देश के किसान 2-3 लाख का लोन भी न चुका पाने की हालत में आत्महत्या कर ले रहे हैं। इसी सिलसिले में सबसे हालिया खबर आई है राजस्थान के झुन्झुनू जिले के सौंथली गांव के दलित किसान नागर मल मेघवाल की जिन्होंने 21 फरवरी को खेती के लिए बैंक से लिये कर्ज को नहीं चुकाने की वजह से फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। नागर मल मेघवाल की लाश अभी दफन ही नहीं हुई कि 22 फरवरी को सुलतान हरिजन की खेती के लिये कर्ज की वजह से जमीन नीलम करने के लिये सीकर जिले की नीमकाथाना तहसील के गांवली गांव मे सरकारी अमला पहुंच गया है। नीलामी के भय से सुलतान गांव से पलायन कर गया है।

राजस्थान के झुंन्झुनु जिले की इन दो घटनाओं ने सरकार की कॉर्पोरेट पक्षधर तथा जनविरोधी चरित्र को स्पष्ट रूप से हमारे सामने रख दिया है। सरकार एक तरफ तो विजय माल्या जैसे भगोड़े उद्योगपतियों को कर्ज बिना किसी शर्त माफ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पहले से ही तबाह कमजोर किसानों की जमीनों को नीलाम करने के लिए बकायदा सरकारी अमला पूरे लाव-लश्कर के साथ पहुंच रहा है।

बाड़मेर में चारागाह-तालाब-शमशान की 400 बीघा जमीन विद्युत सब स्टेशन के लिए आवंटित; विरोध में स्थानीय लोग एकजुट

राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर के कोरणा गांव की 400 बीघा गोचर (चारागाह) और तालाबों की जमीन को भाजपा सरकार ने विद्युत सब स्टेशन के लिए आवंटित कर दिया है। इस आवंटन से वहां के स्थानीय निवासी खासे नाराज हैं। प्लांट निर्माण को लेकर कोरणा ग्राम पंचायत ने प्रशासन को पत्र भेजकर आपत्ति जताई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस आवंटन से वहां की गोचर भूमि और सार्वजनिक तालाब खत्म हो जाएंगे। यहां के तलाब में पानी एकत्रित नहीं होने की वजह से स्थानीय निवासियों और जानवरों के सामने भयानक पानी का संकट पैदा हो जाएगा। हम यहां पर आपके साथ उपरोक्त आवंटन के विरोध में पीपल फॉर एनिमल द्वारा 4 दिसम्बर 2016 को जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन साझा कर रहे हैं;

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,

बाड़मेर ,राजस्थान

विषय - गोचर ,चरागाह व तालाबों की ग्राम कोरणा स्थित खसरा सं 27 रक्बा 400 बीघा सब स्टेशन बनाने हेतु आवंटित नहीं करने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है कि पीपुल फॉर एनीमल्स संस्था, केन्द्रीय मंत्री एंव राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मेनका गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर पशु व पर्यावरण संरक्षण अधिकारों के लिए कार्यरत संस्था है। संस्था की जानकारी में आया है कि आप द्वारा बाड़मेर जिले की पंचपदरा तहसील की ग्राम पंचायत कोरणा में स्थित गोचर (चरागाह) भूमि सरहद मौजा कोरणा के खसरा सं. 27 रकबा 400 बीघा 765/423 विद्युत सब स्टेशन बनाने हेतु आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गोचर (चरागाह) भूमि दर्ज है तथा इस भूमि पर गंगावास तालाब ,मामाजी की नाड़ी, कुतासरया तालाब ,कुतासरया तालाब ,कुपावास तालाब है। ये तालाब यहां के आसपास के दर्जनों गांवो के निवासियों व बेजुबान जानवरों (पशुओं) का प्रमुख पेयजल स्त्रोत है। जंगलों में विचरण करने वाले जंगली जानवर तथा अनेक प्रजातियों के विदेशी पक्षी भी सर्दियों के मौसम में तालाबों में तथा भूमि पर विचरण हेतु यहाँ आते है ,इसी भूमि पर शमशान घाट ,कब्रिस्तान आदि भी स्थित है।

इस क्षेत्र का भूमिगत जल भी अत्यधिक खारा है तथा यह क्षेत्र कैचमेंट एरिया बरसाती पानी को कोरना-गंगावास के तालाबों में संग्रहित करने के काम में आता है। कोना-गंगावास का संपूर्ण क्षेत्र कई तरह के वन्य जीव जैसे चिंकारा, नीलगाय ,जंगली खरगोश ,रेगिस्तानी लोमड़ी ,जंगली सूअर ,चन्दनगो आदि का प्राकृतिक आवास क्षेत्र है तथा यह क्षेत्र इन वन्यजीवों के लिये अत्यधिक सुरक्षित होकर इनके अनुकूल है।

माननीय सर्वोचय न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भी तालाबों की भूमि एंव वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास की भूमि के आवंटन पर पूर्णतया रोक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णय एआईआर ,2001 एस सी 3215के पैरा संख्या 13 में भी जंगलों ,तालाबों ,पहाड़ों की भूमि को पर्यावरण संतुलन हेतु आवश्यक बताया है। अतः आपसे निवेदन है कि तालाबों की व पशुओं के हक की भूमि को विघुत सब स्टेशन हेतु आवांटित नहीं की जावे ,अन्यथा मुझे बेजुबानो के हक के लिए मजबूरन माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की शरण लेकर आवंटन रद्द करवाना पड़ेगा एवं इ बाबत् क्षतिपूबर्ति की जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

पीपल फॉर एनिमल, 4 दिसम्बर, 2016

अजमेर में एयरपोर्ट के विरोध में प्रदर्शन, गले में तख्तियां लटकाए गायें भी उतरी मैदान में

राजस्थान के अजमेर से करीब 25 किलोमीटर दूर किशनगढ़ के पास ढांणी राठौरान गांव में 19 फरवरी 2017 को अनोखा विरोध प्रदर्शन हुआ. यहां ज़मीन अधिग्रहण का विरोध करने के लिये लोग सैकड़ों गायें लेकर इकट्ठा हो गये. इन लोगों का कहना है कि गांव की ज़मीन ली गई तो इन्हें विस्थापित होना पड़ेगा और सभी गायें भी मर जाएंगी. दूध बेचना जीविका कमाने के लिये इन लोगों का प्रमुख ज़रिया है और इन लोगों ने गायों को विरोध के लिये एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया और बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की. गायों के गले में लटकी तख्तियों में प्रधानमंत्री से अपील की गई थी, विकास के नाम पर हमें मत मारो पीएम साहब ,न्याय करो.

खास बातें

1. *'गोरक्षा की बात करने वाली भाजपा सरकार ,गायों का विस्थापन क्यों?*
2. *'क्यों कुछ लोगों की सुविधा के लिये पूरे एक गांव को उजाड़ा जा रहा है?*
3. *गांव में किसी को मुआवज़ा दिये जाने की बात गलत है?*

खेती के साथ पशुपालन इन गांव वालों के लिये रोजी -रोटी कमाने का अहम ज़रिया है. ढांणी राठौरान के बाशिंदे कहते हैं कि उनका गांव 500 साल पुराना है और गांव के लोगों के विरोध के बावजूद उनकी ज़मीन एक हवाई अड्डा बनाने के लिये ली जा रही है. करीब 500 गांव वाले जमीन अधिग्रहण का विरोध करने के लिये अपनी गायों के साथ यहां इकट्ठा हुये. विरोध कर रहे लोगों ने हाथों में जो तख्तियां ली हुई थीं उनमें विस्थापन और अधिग्रहण के खिलाफ अपील करते हुये कई संदेश लिखे थे. एक संदेश में कहा गया , "गो रक्षा की बात करने वाली भाजपा सरकार , गायों का विस्थापन क्यो?" एक दूसरे संदेश में लिखा था " मुआवज़ा नहीं हमें हमारा गांव चाहिये."

आदिवासी कार्यकर्ता कैलाश मीणा ने एनडीटीवी इंडिया से कहा—" यहाँ से 125 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर हवाई अड्डा है और सरकार कुछ लोगों की सुविधा के लिये एक और हवाई अड्डा बनाना चाहती है. आखिर क्यों ?क्यों कुछ लोगों की सुविधा के लिये पूरे एक गांव को उजाड़ा जा रहा है."

मुआवज़े को लेकर पूछे गये सवाल पर मीणा का कहना है कि गाँव को मुआवज़ा दिये जाने की बात गलत है. गांव के लोग ये जगह नहीं छोड़ना चाहते. सरकार ने 2011में पहली बार इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर जो विज्ञापन निकाला वह एक सिन्धी अखबार में था जो भाषा यहां के लोग नहीं समझते. इससे सरकार की चालाकी का पता चलता है."

इस विरोध प्रदर्शन में गांव वालों के साथ मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार और सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे भी मौजूद थे.

छत्तीसगढ़

चुनिन्दा कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए कोयला मंत्रालय ने खोला पिछले दरवाज़े का रास्ता : छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन

5 मार्च 2017, रायपुर| जब मई 2016 में मोदी सरकार ने अपने एक वर्षीय कार्य का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, उसमें पारदर्शी एवं निष्पक्ष कोयला खदानों का आवंटन सबसे प्रमुख उपलब्धियों में से एक गिनाया गया था । सरकार ने दावा किया की 29 खदानों की नीलामी के ज़रिये राज्य सरकारों को 1.72 लाख करोड़ रुपयों का फायदा पहुंचा है । उस समय लगभग सभी मीडिया एवं विशेषज्ञों ने नीलामी प्रक्रिया का स्वागत किया था कि इसके ज़रिये घोटालों और क्रोनी-कैपिटलिज्म का दौर अब पीछे छोड़ दिया गया है जिसके कारण कोलगेट जैसे गंभीर घोटाले हुए थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ऐतिहासिक निर्णय में 214 कोयला खदानों का आवंटन निरस्त कर दिया गया था|

परन्तु इस उपलब्धि के मात्र 2 साल बाद ही ऐसा प्रतीत होता है की पारदर्शी नीलामी से सरकार की रूचि कहीं पीछे छूट गई है और मनमाने रूप से चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों को आवंटन में फायदा पहुंचाने का दौर फिर से वापस आ गया है । इस बार सरकार ने एक नए कानूनी प्रक्रिया का निजाद किया है जिसे एम.डी.ओ. (MDO) अर्थात माइन डेवलपर कम ऑपरेटर कहा जाता है । इस रास्ते से सरकारी कंपनियों की मिलीभगत से कोयला खदानों का पूरा विकास एवं संचालन पिछले दरवाज़े से सरकार के करीबी कॉरपोरेट घरानों को सौंपा जा रहा है और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं । ऐसे में अदानी जैसी कंपनियां, जिन्हें 2015 की नीलामी प्रक्रिया में कुछ ख़ास सफलता नहीं मिली थी, वह भी देश में सबसे बड़े कोयला खदानों के मालिक बनने का सपना देखने लगे हैं । वर्तमान में जारी कॉरपोरेट प्रेजेंटेशन में अदानी ने कहा है की 3 साल में वह 150 मिलियन टन से अधिक का उत्पादन करेंगे जबकि उनके पास अभी 10 मिलियन टन की भी उत्पादन क्षमता नहीं है । सितम्बर 2016 में आयोजित एक कोल मार्केट्स कांफ्रेंस में अदानी माइनिंग विभाग के चीफ कमर्शियल ऑफिसर राजेश अग्रवाल ने इस उत्पादन क्षमता का रास्ता भी साफ़ बताया जिसमें कहा गया की उन्हें कम से कम 15 नए एम.डी.ओ. कॉन्ट्रैक्ट मिल जाने का पूर्ण विशवास है । जिस कंपनी को नीलामी प्रक्रिया में सफलता ना मिली हो, उसको ऐसा विश्वास होना गंभीर सवाल खड़े करता है । साथ ही छत्तीसगढ़ में अदानी के इस विश्वास का आधार भी दिखाई दे रहा है जहां लगातार नए खदानों के एम.डी.ओ. आवंटन में अदानी को ही सफलता मिलती नज़र आ रही है जैसे परसा ईस्ट केते बासेन, परसा, केते एक्सटेंशन, गारे पेलमा -1, इत्यादि ।

तथाकथित पारदर्शी और निष्पक्ष नीलामी कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया का क्या हुआ ?

हालांकि 2015 में भी नीलामी प्रक्रिया के बारे में कई सवाल उठाये गए थे, जिस पर विभिन्न न्यायालयों में कई केस लंबित हैं, फरवरी और मार्च में दो चरणों में कराए गए कोयला नीलामी को खनिज आवंटन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण और अच्छे कदम के रूप में देखा गया था । परन्तु, आश्चर्यजनक बात यह है की मार्च 2015 के बाद से सरकार ने मानो नीलामी प्रक्रिया को जैसे दरकिनार ही कर दिया हो और लगभग सभी खदानों को अलोटमेंट रूट (आवंटन) के ज़रिये सरकारी कम्पनियों को गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी के ही आवंटित कर दिया । 2015 के बाद से कोयला मंत्रालय ने 61 से अधिक कोल ब्लाकों को राज्य सरकार की कंपनियों को आवंटित किया जबकि इस बीच केवल 3 खदानों की ही नीलामी हुई । इससे ना सिर्फ नीलामी प्रक्रिया की प्रभावशीलता बल्कि सरकार की मंशा पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं । नीलामी

प्रक्रिया की विफलता का अंदाजा कोयला खदानों के तीसरे चरण के आवंटन से ही स्पष्ट हो गया था जब 13 कोयला खदानों की नीलामी को केवल इसलिए रद्द किया गया क्योंकि उनके लिए पर्याप्त कंपनियों ने बोलियां ही नहीं लगाईं । चौथे चरण को तो पूरी ही तरह से निरस्त करना पड़ा क्योंकि उसमें चुने गए सभी 9 कोयला खदानों में पर्याप्त रुचि नहीं दिखाई पड़ी । इसके बाद तो सरकार ने मानो नीलामी प्रक्रिया को जैसे छोड़ ही दिया और किसी नए खदान की नीलामी की कोशिश ही नहीं की । सरकारी कंपनियों को गैर-प्रतिस्पर्धी आवंटन के ज़रिये 61 कोयला खदान आवंटित की गयी जिससे लगभग 17 बिलियन टन के कोल रिज़र्व को इन कंपनियों को सौंप दिया गया । इसकी तुलना में नीलामी प्रक्रिया से केवल 2 बिलियन टन से भी कम कोयला रिज़र्व का आवंटन किया गया । इन आंकड़ो से साफ़ है की कोयला की पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह से विफल है और उसकी सफलता का सरकार द्वारा गुणगान मात्र ढोंग और छलावा ही है |

तालिका 1: "नीलामी प्रक्रिया" के ज़रिये निजी कंपनियों को आवंटित कोयला खदानें

राज्य	कोल ब्लाकों की संख्या	कुल माइनएबल रिज़र्व (मी.टन)	कुल कोयला उत्पादन क्षमता (मी. टन प्रति वर्ष)
छत्तीसगढ़	7	348	12.4
झारखंड	9	349	12.94
मध्य प्रदेश	5	295	5.65
महाराष्ट्र	5	64	1.62
उड़ीसा	3	446	13.87
पश्चिम बंगाल	3	157	4.9
कुल	**32**	**1,659**	**51.38**

टेबल 2: अलोटमेंट रूट के ज़रिये सरकारी कंपनियों को आवंटित कोयला खदानें

राज्य	कोल ब्लाकों की संख्या	कुल माइनएबल रिज़र्व (मी.टन)
छत्तीसगढ़	14	5,305
झारखंड	14	5,529
मध्य प्रदेश	3	997
महाराष्ट्र	8	541
उड़ीसा	10	3,753
तेलेंगाना	2	85
पश्चिम बंगाल	10	1,107
कुल	**61**	**17,317**

माईन डेवलपर कम ऑपरेटर {एम.डी.ओ.} मॉडल और कंपनियों का पिछले दरवाज़े से प्रवेश

जिन भी सरकारी कंपनियों को कोयला खदानें आवंटित की गयी हैं, लगभग सभी ने या तो निजी कंपनियों की एम.डी.ओ. (MDO) के रूप में नियुक्ति कर दी हैं या फिर वो इस प्रक्रिया में हैं । एम.डी.ओ. अर्थात माइन डेवलपर कम ऑपरेटर कोयला खदान के विकास एवं संचालन के लिए ज़िम्मेदार होता है, जिसमें सभी पर्यावरणीय स्वीकृतियां लेना, भूमि अधिग्रहण करना, माइन के संचालन के लिए अन्य कांट्रेक्टर की नियुक्तियां, कोयला परिवहन, इत्यादि सभी खनन सम्बंधित गतिविधियाँ शामिल हैं । अतः इस रास्ते से कोयला खदान का पूरा नियंत्रण निजी कंपनियों के पास पहुँच जाता है, जबकि दस्तावेजों में जिम्मेदारियां सरकारी कंपनी के पास रह जाती हैं । यह मॉडल ना केवल प्रतिस्पर्धी नीलामी से बचाकर निजी कंपनियों को कोयला खदानें आवंटित करने का पिछले दरवाज़े का रास्ता है, बल्कि माननीय सुप्रीमकोर्ट के कोलगेट केस में 2014 के निर्णय की मूल भावना की भी घोर अवमानना है । सितम्बर 2014 को अपने ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रक्रिया पर भारी सवाल उठाते हुए, गैरकानूनी करार दिया था, जिस प्रक्रिया से सरकारी माइनिंग कंपनियां निजी कंपनियों के साथ जॉइंट वैंचर (संयुक्त उपक्रम) बना लेते थे जिससे माइनिंग का लाभ निजी कंपनियों के पास चला जाता था । सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ऐसी प्रक्रिया पिछले दरवाज़े से निजी कंपनियों को लाभ दिलाने का कामकर रही है और इस ज़रिये सरकार मनमाने रूप से चुनिंदा कंपनियों को लाभ पहुंचा रही है । एम.डी.ओ. मॉडल पूरी प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया का भी मज़ाक उड़ा देता है और उसकी प्रभावशीलता को ही ख़त्म कर देता है क्योंकि कंपनियों को अब नीलामी प्रक्रिया के बिना ही मनमानी खदानें आवंटित की जा सकती हैं । उदाहरण के तौर पर अदानी कंपनी ने 2015 में हुई नीलामी प्रक्रिया में विशेष भाग नहीं लिया परन्तु फिर भी उसे छत्तीसगढ़ में 4 खदानों के MDO कॉन्ट्रैक्ट अभी तक मिल गए हैं और वह अन्य बड़ी खदानों के MDO कॉन्ट्रैक्ट लेने की भरपूर कोशिश कर रहा है जैसा की गारे पेलमा सेक्टर 1,2,3, गिधमुड़ी, पतुरिया, मदनपुर साउथ, इत्यादि ये सभी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खदानें जिन्हें अब विभिन्न राज्य सरकारों को आवंटित किया गया है |

एम.डी.ओ. प्रक्रिया से निजी कंपनियों को मनमानी खदानें मिलने के अलावा कई अन्य लाभ भी हैं । इस रास्ते से निजी कंपनियां राज्य सरकार की कम्पनियों से लाभ बंटवारे के सौदे कर सकते हैं, जोकि नीलामी से मिली खदानों से मिले लाभ से कहीं अधिक फायदेमंद होते हैं । यह इसलिए संभव है क्योंकि अलोटमेंट रूट से मिली खदानों पर सरकारी कंपनी को बहुत कम लगभग 100 -150 रूपये प्रति टन की रोयल्टी देनी पड़ती है जबकि प्रतिस्पर्धी नीलामी में यह रोयल्टी की दर 3500 रूपये प्रति टन तक भी जा सकती है । ऐसे में इसका मुनाफे का महत्वपूर्ण हिस्सा निजी कंपनियों के पास चला जाता है । इसके अलावा एम.डी.ओ. के रास्ते से निजी कंपनियां कई महत्वपूर्ण माइन विकास सम्बंधित जोखिमों की तथा अग्रिम भुगतान की ज़िम्मेदारी को भी राज्य सरकारों पर स्थानांतरित कर सकती है । साथ ही इस रास्ते से निजी कंपनियों को बड़ी खदानों का भी संचालन मिल जाता है जोकि सामान्यतः केवल सरकारी कंपनियों के लिए ही सुरक्षित रखी गई हैं । इस रास्ते से पक्षपात एवं क्रोनी कैपिटलिज्म को भी बढ़ावा मिलता है जिसके कई उदाहरण हमने कोलगेट स्कैम में देखे हैं । ऐसे में यह बिलकुल आश्चर्यजनक नहीं है की अदानी जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों ने नीलामी प्रक्रिया में अपने संसाधन और

ताकत को व्यर्थ करने की जगह एम.डी.ओ. के आसान रास्ते को चुना है । पर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या यह राष्ट्र एवं जन हित में है ?

छत्तीसगढ़ राज्य के सम्बन्ध में एम.डी.ओ. के परिणाम-

रोयल्टी भुगतान राज्य सरकार को मिलने वाले खनिज राजस्व का प्रमुख हिस्सा होता है । ऐसे में खनिज आवंटन के लिए अलोटमेंट रूट को चुनना खनिज राजस्व की क्षमता को बहुत कम कर देता है जबकि इसका कुछ फायदा उस राज्य सरकार को मिलता है जिसे यह खदान आवंटित हुई है। ऐसे देखा जाए तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा नुक्सान छत्तीसगढ़ राज्य पर ही पड़ा है जहां राज्य में स्थित कोल ब्लाकों का एक बड़ा हिस्सा अन्य राज्यों को आवंटित किया गया है । हालांकि राज्य में स्थित 7 कोयला खदानों को नीलामी के माध्यम से दिया गया हैं, ये सभी खदानें बहुत छोटी थी जिनकी कुल क्षमता मात्र 12.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष है और इनमें कुल माइन रिज़र्व 348 मिलियन टन ही हैं। लेकिन इन खदानों की नीलामी से यह तो साफ हो गया की छत्तसीगढ़ राज्य में कोयला की रोयल्टी की दर औसतन 2400 रूपये प्रति टन है । लेकिन इस महत्वपूर्ण खनिज राजस्व की क्षमता के बावजूद, राज्य के अधिकाँश बड़ी खदानों को कौड़ियों के भाव पर विभिन्न राज्य सरकारों को दे दिया गया । जैसा की राजस्थान सरकार की कंपनी को आवंटित तथा अदानी द्वारा संचालित परसा ईस्ट केते बासेन खदान ही अपने आप में पूरी नीलामी हुए 7 खदानों से अधिक क्षमता की है - 15 मिलियन टन का प्रतिवर्ष उत्पादन तथा 450 मिलियन टन के कोयला रिज़र्व । इसी तरह गुजरात राज्य की सरकारी कंपनी को आवंटित गारे पेलमा सेक्टर - 1 खदानकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 21 मिलियन टन है और कुल रिज़र्व 900 मिलियन टन से भी अधिक हैं । कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 14 कोल ब्लॉक विभिन्न राज्य सरकारों को अल्लोटमेंट रूट से आवंटित किये गए हैं जिनकी कुल रिज़र्व 5.3 बिलियन टन से अधिक है और लगभग यह सभी खदानों के लिए MDO नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है |

पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों में भी मुनाफे के लिए आवंटित किये गए कोल ब्लाक -

छत्तीसगढ़ में वर्तमान में दो बड़े कोयला क्षेत्र हैं हसदेव अरण्य एवं मांड रायगढ़ । ये दोनों आदिवासी बाहुल्य, सघन वनक्षेत्र हैं जिसमे समृद्ध जैव विविधता वन्य प्राणियों का आवास और कई महत्वपूर्ण जलाशय और नदियों का केचमेंट हैं । पर्यवार्नीय संवेदनशील इन क्षेत्रों के संरक्षण की प्राथमिकता को नजरंदाज कर सिर्फ कार्पोरेट मुनाफे के लिए कोल ब्लाको का आवंटन किया जा रहा हैं । यहाँ तक कि अन्य राज्यों को कमर्शियल माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक आवंटित किये गए हैं जिनमें अंत-उपयोग को बिलकुल नज़रअंदाज किया गया है, जैसा की मदनपुर साउथ खदान आंध्र प्रदेश की सरकार को कमर्शियल माइनिंग के लिए दी गयी है । ऐसे में यह आश्चर्यजनक है की छत्तीसगढ़ सरकार ने इसका कुछ विरोध नहीं किया और अन्य राज्य सरकार, जोकि अपने आप में अमीर प्रदेश है, को अपने संसाधन से राजस्व लाभ लेने दिए । इन क्षेत्रों में खनन से उत्पन्न पर्यावरणीय एवं सामाजिक दुष्प्रभाव बहुत ही गंभीर होंगे जिनको राज्य सरकार अनदेखी कर रही हैं ।

कोयला आवंटन के MDO मॉडल से खड़े हुए कुछ प्रमुख सवाल

कोयला खदानों के अलोटमेंट रूट से आवंटन और उसके पश्चात निजी कंपनियों की एम डी ओ नियुक्ति की इस प्रक्रिया से कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं । क्या इस प्रक्रिया से विवेकाधीन और मनमाने रूप से चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों को बहुमूल्य राष्ट्रिय सम्पदा को कौड़ियों के भाव नहीं सौंपा जा रहा है ? और क्या इससे सुप्रीम कोर्ट के 2014 के आदेश और उसमें उठाये गए निष्पक्षता और पारदर्शिता के मुद्दों

का मज़ाक भर नहीं बन गया है ? जब सरकार ने 2015 में दावा किया था की उसने एक अत्यंत सफल कोयला नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत की है, तो फिर क्यूँ उससे अब मुंह मोड़ लिया ? और जब यह स्पष्ट है की प्रतिस्पर्धी नीलामी के रास्ते अधिक रोयल्टी मिलती है, तो क्यूँ बहुमूल्य राजस्व को व्यर्थ गंवाया जा रहा है? और यह पिछला दरवाज़ा खोलने से क्या सरकार ने नीलामी का प्रमुख दरवाज़ा ही बंद नहीं कर दिया है क्योंकि जब आसानी से एम डी ओ के माध्यम से खदान का नियंत्रण एवं संचालन मिल जाए, तो फिर कौन सी निजी कंपनी नीलामी में जोखिम उठाने की कोशिश करेगी ? क्यूँ पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण खदानों को नीलामी में नहीं उतारा जाता और उनका अलोटमेंट रूट से आवंटन कर दिया जाता है? क्या इसमें निजी कंपनियों को स्वीकृति ना मिलने से जोखिम से बचाने की साज़िश तो ना समझा जाए ? और कोयला उत्पादन बढ़ाने की ऐसी क्या जल्दी है की उसमें अंत-उपयोग को भी ना देखा जाए और कमर्शियल माइनिंग के माध्यम से चंद मुनाफे के लिए बहुमूल्य संपदा का दोहन और पर्यवरण का विनाश कर दिया जाए ? ऐसे में सवाल तो सरकार की पूरी कोयला आवंटन नीति और कोल माइंस (विशेष उपबंध) अधिनियम पर भी खड़े होते हैं। क्या यह नीति वाकई देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बनाई गई है जैसा की सरकार ने दावा किया था ? या फिर इससे मिलते राज्य सरकारों के खनिज राजस्व में कुछ इज़ाफे के मकसद से इस नीति को बनाया गया है ? या फिर कहीं इसका असल मकसद राज्य सरकार के हितों या पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों की अनदेखी कर केवल कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों को मुनाफा पहुँचाना ही तो नहीं है ?

मांग पत्र

छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन का मानना है की कोयला खदानों के आवंटन की प्रक्रिया केवल अदानी जैसे कुछ कॉरपोरेट घरानों को मुनाफा पहुंचाने के लिए ही बनाई गयी हैं जो प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं और कम मूल्यों पर देश के बहुमूल्य खनिज संसाधनों को हथिया कर उससे निजी लाभ कमाना चाहते हैं । जिन खदानों को पर्यावरणीय स्वीकृतियां मिलने में कठिनाई आती, उन सभी को नीलामी प्रक्रिया की सार्वजनिक जांच से बचाकर अलोटमेंट रूट से आवंटित कर दिया गया जिससे मनमाने और गैरकानूनी रूप से स्वीकृतियां दे दी जाएँ । इस पूरी प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ राज्य को खनिज राजस्व में गंभीर नुक्सान पहुंचा है और इसका सारा लाभ अदानी जैसी कंपनियों को मिला है जोकि आज छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी कोयला कंपनी बनने की तरफ तेज़ गति से अग्रसर है, और जिसकी हसदेव अरण्य और मांड-रायगढ़ क्षेत्र के विशाल कोल भण्डार पर नज़र है |

छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन इस पूरी कोयला खदानों के आवंटन की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग करता है जिसमें विशेष रूप से सभी एम.डी.ओ (MDO) की नियुक्ति प्रक्रिया शामिल है । हम मांग करते हैं की CAG इसे संज्ञान में लेकर जांच करे या फिर एक न्यायिक जांच कराई जाये । यह प्रक्रिया ना तो पारदर्शी है बल्कि कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य मात्र से रची गई है जिससे सरकार और देश के बहुमूल्य संसाधनों को व्यर्थ गंवाया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के 2014 के निर्णय की मूल भावना के विपरीत है और कोलगेट केस को पुनर्जन्म देती है । इसमें ना सिर्फ केन्द्रीय सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और रमन सिंह की भूमिका पर भी सवालिया निशान लगते हैं जोकि इस पूरी प्रक्रिया के बीच राज्य के हितों को नज़रंदाज़ कर प्रक्रिया में पूर्णतया भागीदार बने रहे । ऐसी स्थिति में हम सरकार को यह पुनः याद दिलाना चाहते हैं की कोयला संसाधन एक जन-सम्पदा है जिनका उपयोग केवल जन-हित में ही किया जाना चाहिए और निजी मुनाफे के लिए उन्हें व्यर्थ होने से बचाना सरकार की अभिन्न ज़िम्मेदारी है । इसके साथ ही पर्यवार्नीय संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी कोल ब्लॉक का आवंटन या नीलामी न किया जाये ।

उड़ीसा

बिड़ला हिंडाल्को के खिलाफ 15 वर्षों से कोरापूट के आदिवासियों का बहादुराना प्रतिरोध

उड़ीसा के कोरापूट जिले के सिमलीगुड़ा तहसली में स्थित है विशाल देव माली पर्वत। देव माली पर्वत यहां के स्थानीय आदिवासियो के लिए न सिर्फ अपने बत्तीस झरनों और एक नदी से पानी, औषधि, जड़ी बूटियां और कंद-मूल उपलब्ध करवाता है। बल्कि इस पर्वत से इन आदिवासियों के अनेकों आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। उनका मानना है कि उनके देवी-देवताओं का वास इसी पर्वत में है। इस सबके साथ- साथ माली पर्वत में दबी है बॉक्साइट की अपार संपदा। इस संपदा के खनन के लिए बिड़ला ग्रुप ऑफ कंपनीज 2003 में एक बॉक्साइट खनन परियोजना लेकर आया। तभी से ही यहां के स्थानीय आदिवासी माली पर्वत सुरक्षा समिति के बैनर तले हिंडालको (बिड़ला) कपंनी के खनन के खिलाफ 2003 से संघर्षरत हैं। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि हिंडालकों द्वारा किया जा रहा बॉक्साइट खनन पर्वत को पूरी तरह से नष्ट कर देगा जिसके साथ ही उनका पानी ,सब्जी ,और खेती सब नष्ट हो जाएगी।

हिंडालको द्वारा किए जा रहे खनन से सिमलीगुड़ा के 4 ग्राम पंचायतों के 42 गांव प्रभावित हो रहे थे। माली पर्वत से निकलने वाले बॉक्साइट को कंपनी के संबलपुर तथा रुड़की प्लांट में जाना था। 2007 में जब हिंडालको ने खनन के लिए सड़क निर्माण का काम शुरु किया तब वहां के स्थानीय आदिवासियों ने इस खनन का विरोध करना शुरु किया। उस समय हिंडालकों ने स्थानीय आदिवासियों से वादा किया था कि वह वहां के युवकों को के लिए 105 रोजगार उपलब्ध करवाएगा। वर्ष 2014 में स्थानीय आदिवासियों पर हुए कंपनी के गुंडों तथा पुलिस के हमले के बाद आदिवासियों ने विरोध स्वरूप खनन का काम बंद करवा दिया। तब से ही हिंडालको का खनन का काम यहां पर पूरी तरह से बंद है तथा हिंडालको के खिलाफ क्षेत्र में एक मजबूत संघर्ष चल रहा है। आदिवासियों का कहना है कि वह किसी भी सूरत में माली पर्वत पर खनन नहीं होने देंगे।

अपने पर्वत की सुरक्षा के लिए यहां के आदिवासिय हर वर्ष एक प्राकृतिक सुरक्षा समावेश का आयोजना करते हैं जहां पर आस-पास के क्षेत्रों के सभी छोटे-बड़े संघर्ष एकजुट होकर अपने परिवेश तथा पर्वत की सुरक्षा का संकल्प दोहराते हैं। इसी क्रम में 18 जनवरी 2017 को माली पर्वत सुरक्षा समिति के बैनर तले एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में 4000 आदिवासियों ने भागीदारी की। जनसभा को संबोधित करने के लिए देश के विभिन्न भागों से सामाजिक कार्यकर्ता तथा नेतृत्वकारी साथी भी पहुंचे। जनसभा की अध्यक्षता वरिष्ठ गांधीवादी तथा जनसंघर्षों के अग्रणी कार्यकर्ता डॉ. जी.जी. पारिख ने की।

जनसभा में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की स्थिति का वर्णन करते हुए मौजूदा हालात तथा आगे की रणनीति पर बात रखी। माली पर्वत सुरक्षा समिति के निरंजन खलों ने कहा कि हिंडालको द्वारा किया जा रहा खनन हमारा पानी, सब्जी खेती सब कुछ नष्ट कर देता। अपने पर्वत की सुरक्षा के लिए हमने 2003 से ही इस खनन के खिलाफ संघर्ष छेड़ रखा है। इस संघर्ष के दौरान हमारे कई साथियों पर पुलिस, प्रशासन तथा कंपनी के गुंडों द्वारा कई तरीकों से दमन के प्रयास किए गए तथा हमें फर्जी मुकदमों में फंसाया गया है। लेकिन इस सबके बावजूद हम अपने पर्वत पर खनन दुबारा शुरु नहीं होने देंगे।

माली पर्वत सुरक्षा समिति के सदानंद पुजारी ने बताया कि हिंडाल्को कंपनी द्वारा किया जा रहा खनन यहां के 42 गांवों के आदिवासियों की आजिविका तथा रहन-सहन को प्रभावित कर रहा था। इस खनन के खिलाफ हमने कलेक्टर, तहसीलदार के कार्यालयों पर कई बार विरोध-प्रदर्शन किया तथा खनन रोकने के लिए ज्ञापन दिया। वर्ष 2014 में कंपनी के गुंडों द्वारा किए गए हमले के बाद से ही हमने यहां पर खनन का काम पूरी तरह से बंद करवा दिया है।

माली पर्वत सुरक्षा समिति के सचिव पूर्णों जानी (25) ने 2014 के घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि 8 जनवरी 2014 को लगभग 500 आदिवासियों ने बॉक्साइट ले जा रही 50-60 गाड़ियों को रोक दिया। 9 जनवरी को हो रहे धरना प्रदर्शन पर तहसीलदार ने आकर गाड़ियों को छोड़ देने के लिए कहा जिसे लोगों ने नहीं माना। 9 जनवरी की

रात कंपनी के कुछ गुंडों ने धरने पर समान लेकर आ रहे 5 युवकों को रोक कर उनके साथ मार-पीट की। इस घटना से क्षेत्र के आदिवासियों में भारी रोष छा गया और उन्होंने 10 जनवरी को 10000 की संख्या में एकत्रित होकर गाड़ियों को तोड़ दिया। हिंडाल्कों के कार्यलाय में भी तोड़-फोड़ की तथा उनके कर्मचारियों को वहां से भगा दिया। तब से ही खनन का काम रुका पड़ा है। 10 जनवरी के प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों लोगों पर कई तरह के फर्जी मुकदमे लगा दिए गए हैं। कंपनी द्वारा साजिशन गांव के 14 युवकों पर माओवादी होने का आरोप भी लगाया गया जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर इन युवकों पर मोअवाद का फर्जी मुकदमा दायर कर दिया।

पूर्णो जानी आगे कहते है कि माली पर्वत सुरक्षा समिति ने अब अपना संघर्ष का दायरा भी बढ़ा दिया है। 3 अगस्त 2016 को 5 आदिवासियों की माओवादी के नाम पर फर्जी इनकाउंटर के विरोध में कोरापुट बंद का आह्वान किया गया। फर्जी केसों और खनन के साथ-साथ अब माली पर्वत सुरक्षा समिति आदिवासियों से जुड़े अन्य मुद्दों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, मनरेगा, रोजगार, राज्य दमन इत्यादि के इर्द-गिर्द भी संघर्ष विकसित करने का प्रयास कर रहा है।

सभा के अध्यक्ष डा. जी.जी पारिख ने कहा कि कोरापूट के आदिवासियों का संघर्ष न सिर्फ उनके पर्वत को बचाने का संघर्ष है बल्कि यह पूरे देश में चल रहे संघर्षों के लिए एक मिसाल है। यह संघर्ष एक नया विचार, एक नया दर्शन लेकर आएगा जो पूरे देश के संघर्षों को अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि माली पर्वत सुरक्षा समिति की अब यह जिम्मेदारी भी है कि वह अपने संघर्ष के साथ-साथ अन्य संघर्षों की भी सहायता करे।

लोकशक्ति अभियान से प्रफुल्ल सामंत्रा ने भारत सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि भारत सरकार इस समय पूरी तरह से कॉर्पोरेट समर्थित सरकार की तरह काम कर रही है और आदिवासियों के अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में यह बहुत जरूरी है कि हम अपने संघर्षों को एकजुट करें और उन्हें एक मजबूत संगठन के तहत संगठित करें। उन्होंने माली पर्वत सुरक्षा समिति के नेतृत्व के तहत चल रहे खनन विरोधी आंदोलन में आदिवासियों के जोशो-खरोश की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें अपनी इस ताकत को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार करना है। पश्चिमी उड़ीसा कृषक संगठन से लिंगराज प्रधान ने कहा कि उड़ीसा का हर एक कोना अपार संपदा से भरा पड़ा है। इसके पर्वतों में जो खनिज दबा पड़ा है वही कंपनियों को यहां आकर्षित करता है और उसका नतीजा निकलता है आदिवासियों के विस्पाथन में। किंतु आदिवासी इसके खिलाफ हर जगह लड़ रहे हैं और उन्हें अपने संघर्षों में सफलता भी मिल रही है। नियामगिरी के डोंगरिया कोंध आदिवासी जिन्हें उड़िया भाषा तक नहीं आती है वह वेंदाता जैसे विशालकाय उद्यम से सिर्फ अपनी इच्छाशक्ति और एकता के दम पर रोक रखा है।

नियामगिरी की तरह ही उड़ीसा के अन्य भागों में भी आदिवासी अपने जंगल-जमीन और आजिविका के लिए लड़ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। माली पर्वत की सुरक्षा का संघर्ष भी ऐसा ही एक बहादुराना संघर्ष है जिसे अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। नियामगिरी सुरक्षा समिति से लिंगराज आजाद ने नियामगिरी के संघर्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से नियामगिरी के आदिवासियों ने अपने संगठन के दम पर वेदांता को वहां आने से रोक रखा है उसी तरह हर आदिवासी समुदाय को अपने जंगल और जमीन की रक्षा के लिए मजबूत और एकताबद्ध संघर्ष खड़े करने होंगे। उन्होंने कहा कि हमें अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अलग-अलग चल रहे संघर्षों को एकजुट करना होगा।

मशहूर गांधीवादी नेत्री मंजू मोहन ने कहा कि आदिवासियों के संघर्षों में उनकी महिलाओं की भूमिका प्रसंशनीय है जो अपने घर को संभालने के साथ-साथ अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं।

पूर्व केंद्रीय इस्तापत मंत्री ब्रज किशोर त्रिपाठी ने कहा कि मौजूदा भारत सरकार की समस्त नीतियां कॉर्पोरेट हितों के लिए बन रही हैं। वह कॉर्पोरेट मुनाफे को बढ़ाने के लिए आदिवासियों को उनके जंगल और जमीन से विस्थापित कर रही है। किंतु आदिवासी इस अन्याय और उत्पीड़न का अपने संघर्षों के दम पर पुरजोर मुकाबला कर रहे हैं।

सभा का संचालन माली पर्वत सुरक्षा समिति के युवा नेता सदानंद पुजारी ने किया। सभा में स्थानीय युवकों ने अपनी संस्कृति का परिचय देते हुए एक आदिवासी नृत्य भी प्रस्तुत किया। सभा में आए वक्ताओं का स्वागत तथा धन्यवाद माली पर्वत सुरक्षा समिति के सचिव पुर्णो माली ने किया।

महाराष्ट्र

गडचिरौली में विस्थापन विरोधी संघर्ष को मजबूत बनाने का ऐलान

पिछले कई सालों से सरकार निजी कंपनियों द्वारा महाराष्ट्र के गडचिरोली के सुरजागढ, आगरी-मसेली, बांडे, दमकोंडवाही आदि जगहों पर लौह खनन चालू करने के प्रयास कर रही है. जिसका स्थानीय जनता जोरदार विरोध कर रही है. लोगों को बहकाने की, उन्हें खरीदने की हर एक कोशिश विफल होती देख विरोध करती जनता पर दमन किया जा रहा है। स्थानीय जनता का मानना है कि गडचिरौली के इन पहाड़ों और नदियों में उनके देवताओं का वास है जिसकी वजह से उनका अस्तित्व है। इन इलाकों में खनन का मतलब है न सिर्फ यहां के पर्यावरण का विनाश है अपितु उनकी समूल संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और इसी लिए इस इलाके की स्थानीय जनता ने यह प्रण लिया है कि वह अपने इलाके में खनन किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। सुरजागढ़ पहाड़ क्षेत्र में खनन के विरोध में विस्थापन विरोधी जन विकास आन्दोलन के बैनर तले 5-8 जनवरी 2017 को ठाकुर देव यात्रा तथा अधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया। हम यहां पर आपके साथ इस कार्यक्रम पर महेश राउत की एक विस्तृत रिपोर्ट साझा कर रहे हैं;

हमें खदान नहीं चाहिए.. खदान; पहाड़ और नदियों का विनाश है, खदान संस्कृती का विनाश है, खदान जल-जंगल-जमीन का विनाश है, खदान आदिवासियों एवं अन्य समुदायों का विनाश है..... खदान रोजगार और विकास नहीं पैदा करता.. खदान दलित, आदिवासी, गरीब और मेहनतकश के फायदे के लिए नहीं है...बल्कि खदान, अमिर पूंजीपतियों, दलाल नेतायों, भ्रष्ट अधिकारियों के मुनाफे और फायदे के लिए है ..खदान लुट के लिए है." सुरजागढ पहाड़ क्षेत्र में आयोजित ठाकुर देव यात्रा और अधिकार सम्मेलन में "हमें खदान नहीं चाहिए" के नारे में विस्थापन विरोधी संघर्ष को मजबूत बनाने का हुआ ऐलान.

जल-जंगल-जमीन, डोंगर-पहाड, नदी-नाले ये ही हमारी असली संपदा है, इन्ही नदी-पहाड़ों में हमारे भगवान है, हमारे श्रद्धास्थल है. वन संसाधनों पर आधारित रोजगार और देवी-देवतायों के सहवास के वजह से ही यहाँ की संस्कृती और आदिवासियों की संपन्नता टिकी हुई है. विकास के नाम पर पुरे गडचिरोली जिले में अगर खदाने होती है तो भारी मात्र में वन नष्ट हो जायेंगे, जिसे स्थानीय आदिवासी एवं अन्य समुदायों को विस्थापन की मार झेलनी पड़ेगी. इसीलिये गडचिरोली जिले में शुरू की गयी और प्रस्तावित सभी खदानों को तुरंत रद्द किया जाये ये ऐलान गडचिरोली जिले के एटापल्ली तहसील में सुरजागड़ पहाड़ क्षेत्र में आयोजित "ठाकुर देव यात्रा, सुरजागड़ वार्षिक महोत्सव एवं अधिकार सम्मेलन" में किया गया. विस्थापन,जनविरोधी विकास नीतियों के खिलाफ जनतांत्रिक संघर्ष को और भी मजबुत बनाने का आगाज हुआ. संस्कृती की रक्षा के लिए, जल-जंगल-जमीन, संसाधनों पर अधिकार के लिए, जन केन्द्रित विकास के निर्माण के लिए, मुक्ति के संघर्ष को आगे ले जाने का संकल्प हजारों की तादात में जमा हुयी जनता द्वारा लिया गया.

गडचिरोली जिले के एटापल्ली तहसील के सुरजागड़ क्षेत्र में सुरजागड़ की पहाड़िया स्थानिक आदिवासी एवं अन्य समुदायों के लिए महत्वपूर्ण पूजा स्थल है. इन पहाडियों में मुख्य पहाड़ पर इस क्षेत्र के प्रमुख 'ठाकुर देव' का पूजा स्थल और अन्य प्राकृतिक पूजा स्थल है. कितने शताब्दीयों से स्थानिक आदिवासी एवं अन्य समुदाय यहाँ पर हर साल पूजा के लिए सम्मलित होते है. इस सुरजागड़ पहाड़ का यहाँ के स्थानिक समुदायों के परंपरा, संस्कृती, धार्मिक रचना में महत्वपूर्ण स्थान है. साथ ही 1857 के अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के गडचिरोली क्षेत्र के

महान शहीद वीर बाबुराव शेडमाके के गढ़ के रूप में 'सुरजागड़'पहाड़ की ऐतिहासिक पहचान है. उस समय के ऐतिहासिक अवशेष आज भी इस पहाड़ पर उपलब्ध है जो वीर बाबुराव शेडमाके के क्रांतिकारी इतिहास को आज भी बया करते है. लोगो के अस्तित्व का इस पहाड़ के अस्तित का सीधा संबंध है. पर अब इस पहाड़ का ही अस्तित्व ख़त्म करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है.

पिछले कही सालों से सरकार निजी कंपनियों द्वारा गडचिरोली के सुरजागड, आगरी-मसेली, बांडे, दमकोंडवाही आदि जगहों पर लोह खनन चालू करने के प्रयास कर रही है. जिसका स्थानिक जनता जोरदार विरोध कर रही है. लोगों को बहकाने की, उन्हें खरीदने की हर एक कोशिश विफल होती देख विरोध करती जनता पर दमन किया जा रहा है. लोग समझ के संगठित न हो पाए इसीलिए दलाल जनप्रतिनिधियों द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है. पर स्थानीय जनता अपनी संस्कृती, संसाधनों की रक्षा में मजबूती से संघर्ष कर रहे है.

जनविरोधी खनन प्रयासों और हिंसक विकास प्रक्रिया का पुरजोर विरोध कर रहे स्थानिक जनता के तरफ से सुरजागड़ पारंपरिक इलाखा गोटुल समिती, एटापल्ली तहसील के सभी ग्रामसभायों और जिले के अन्य क्षेत्रों के सहयोग से हर साल की तरह इस साल भी "ठाकुर देव यात्रा, सुरजागढ वार्षिक उत्सव एवं अधिकार सम्मेलन" का आयोजन 5-8 जनवरी 2017 किया गया था. चार दिनों तक चली इस ऐतिहासिक संघर्षमयी यात्रा और सम्मलेन में सुरजागड़ क्षेत्र के 70 गावों के साथ-साथ गडचिरोली जिले के तोड़सा, वेनहारा, झाड़ा-पापडा, भामरागड एवं अन्य विभिन्न इलाकों से लोग सम्मलित हुए. इस यात्रा एवं सम्मेलन में स्थानीय जनता के साथ-साथ अन्य जगहों के जन संगठनों, राजनैतिक दल, बुध्दिजीवी, संशोधक सहभागी हुए.

यात्रा के पहले दिन श्याम को पारंपरिक पूजा द्वारा शुरुवात की गयी. रात्रि में पारंपरिक नृत्य, सांकृतिक कार्यक्रम चले. दुसरे दिन'जल-जंगल-जमीन और संसाधनों पर अधिकार, विस्थापन के सवाल' पर मुख्य चर्चा एवं जन सभा का आयोजन किया गया.जिसमे स्थानिक जनता के साथ-साथ विस्थापन विरोधी आन्दोलन कर्मियों, राजनैतिक दलों ने अपनी भूमिका रखी. सुरजागड़ एवं अन्य जगहों पर खदाने आवंटित करते वक्त पेसा और वन अधिकार कानूनों का उलंघन किया गया है. ग्राम-सभायों के अधिकारों को नकारते हुए ये खदाने आवंटित किये गए. निजी कंपनियों को मुनाफा कमाने के लिए स्थानिक जनता के संसाधन कौड़ियो के दम पर बेचे जा रहे है. आदिवासियों के पूजा स्थल, पवित्र पहाड़ नष्ट किये जा रहे है. इसी कारण सुरजागड़ खदान के साथ-साथ गडचिरोली में प्रस्तावित सभी खदाने तुरंत रद्द किये जाये और सभी एम्.ओ.यु. निरस्त किये जाये ये भूमिका चर्चा में राखी गयी. मुख्य चर्चा सभा में प्रास्ताविक भूमिका विस्थापन विरोधी जन विकास आन्दोलन के केन्द्रीय समिति सदयस्य महेश राउत ने रखी. सभा में सुरजागड़ क्षेत्र के भूमिया और प्रमुख गायतायों ने अपनी भूमिका रखी. झाड़ा इलाका के प्रतिनिधि बावसु पावे, भामरागड क्षेत्र से लालसू नरोटे और राजश्री लेखामी, महाराष्ट्र ग्रामविकास जनांदोलन के और से जयश्री वेळदा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अमोल मारकवार और डॉ. महेश कोपुलवार इन्होंने अपनी बात रखते वक्त आदिवासी क्षेत्र की संस्कृती, पारंपरिक व्यवस्था की रक्षा के लिए, जल-जंगल-जमीन और संसाधनों की रक्षा कर स्थानिक संसाधनों पर आधारित रोजगार निर्माण हेतु गडचिरोली जिले में शुरू की गयी और प्रस्तावित सभी जन विरोधी खदाने तुरंत रद्द किये जाये ये मांग रखी. सभा का संचालन रामदास जराते और संपूर्ण क्षेत्र के और से आभार सैनु गोटा ने किया.

झारखण्ड

60 साल से विस्थापित आदिवासियों से धोखा : शोषण की नींव पर खड़ा है बोकारो इस्पात संयंत्र

झारखण्ड के बोकारो इस्पात संयंत्र के विस्थापितों के जुझारू संघर्ष ने एक बार फिर से सरकार की दोरंगी नीति को सामने ला दिया है। 3 जनवरी 2017 को बोकारो इस्पात संयंत्र के कूलिंग पौंड के अवैध निर्माण का विरोध कर रहे 10 विस्थापित नेताओं को धोखे से पकड़कर पुलिस ने 4 जनवरी को जेल भेज दिया है। पुलिसिया तानाशाही के विरोध में 19 जनवरी 2017 को हुए जनाक्रोश रैली में आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए भूमि के अधिग्रहण को लगभग 60 साल हो चुके हैं, लेकिन विस्थापितों से किए गए वादे आज भी पुरे नहीं हुए है। आज जल-जंगल-जमीन को बचाने की लड़ाई क्यों जरूरी है, उसे हम बोकारो इस्पात संयंत्र के विस्थापितों के हालात से समझ सकते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए कुल अधिगृहित भूमि मात्र 17751.275 एकड़ है, जिसमें बोकारो इस्पात संयंत्र की चारदीवारी के अंदर का भूक्षेत्र मात्र 3000 एकड़ है। बांकि भूमि कई बड़ी-बड़ी कम्पनियों को बोकारो इस्पात संयंत्र ने लीज पर दे दिया है। जिसमें डालमिया सीमेंट जैसी कम्पनी भी है और बियाडा के तहत सैकड़ों छोटी-बड़ी कम्पनियां। जबकि सबलीज देना कानून का भी उल्लंघन है। पेश है स्वतंत्र पत्रकार रूपेश कुमार सिंह की विस्तृत रिपोर्ट;

झारखंड के बोकारो जिला स्थित बोकारो इस्पात संयंत्र भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है। यह संयंत्र भारत के प्रथम स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना 29 जनवरी 1964 को हुई थी। 25 जनवरी 1965 को भारत व सोवियत संघ सरकार के बीच बोकारो स्टील प्लांट बनाने पर सहमति हुई थी। 22 दिसंबर 1965 से जीपरोमेज मॉस्को द्वारा कार्यक्षेत्र की जमीन के समतलीकरण का काम डीपीएलआर ने शुरु कर दिया था। 6 अप्रैल 1968 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों बोकारो स्टील प्लांट की प्रथम धमन भट्टी के निर्माण कार्य का उद्घाटन हुआ था। 24 जनवरी 1973 को भारतीय इस्पात प्राधिकरण (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल) की स्थापना भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में होने के बाद 1 मई 1978 को पब्लिक सेक्टर आयरन एंड स्टील कम्पनीज रिस्ट्रक्चरिंग एंड मिस्लेनियस प्रोविजन 1975 के अनुसार बोकारो स्टील लिमिटेड का विलय सेल में हो गया। यह तो थी बोकारो इस्पात संयत्र के स्थापना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना का मूल कारण यही था कि हमारा देश स्टील के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके और साथ ही साथ तत्कालीन बिहार जैसे पिछड़े राज्य में उद्योग लगने के कारण इसका विकास भी हो सके। इस उद्योग को लगाने में तत्कालीन बिहार सरकार के केंद्र सरकार की भरपूर मदद की थी। जब बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की बात चली तो तुरंत तत्कालीन बिहार सरकार ने 1956 में ही बोकारो इस्पात संयंत्र को कुल 31287.24 एकड़ भूमि उपलब्ध कराया, जिसमें 26908.565 एकड़ अर्जित भूमि, 3600.215 एकड़ गैर मजरूआ भूमि एवं 778.46 एकड़ वन भूमि शामिल था। कहा जा सकता है कि तत्कालीन बिहार सरकार हरगिज नहीं चाहती थी कि यह कारखाना कहीं और लगे।

इसलिए तुरंत ही लगभग सारी जमीन खाली कराकर बोकारो इस्पात संयंत्र को सौंप दिया गया, लेकिन उचित पुनर्वास व नियोजन पर सहमति ना हो पाने के कारण 20 गांव के 824.855 एकड़ जमीन राज्य सरकार खाली नहीं करा सकी। फलस्वरूप वर्त्तमान में इन सभी गांवो पर स्वामित्व को लेकर सर्वोच्च

न्यायालय में राज्य सरकार व बोकारो इस्पात संयंत्र या कहा जाए तो सेल प्रबंधन के बीच लड़ाई चल रही है। लड़ाई का परिणाम जो भी निकले लेकिन वर्त्तमान में इस लड़ाई में पिस रहे हैं 19 गांव (क्योंकि एक गांव के ग्रामीण को कुछ अधिकार भी हासिल है) के विस्थापित वैसे कहा जाये तो ये 19 गांव नहीं बल्कि 19 मोजा है, जिसके अंतर्गत करीब 30-35 गांव आते हैं। इन गांवों में 17-18 हजार परिवार रहते हैं। इन गांवों की कुल जनसंख्या 70-80 हजार होगी, वहीं 42-45 हजार के करीब यहां मतदाता हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये विधानसभा व लोकसभा चुनाव में तो मतदान करते हैं लेकिन पंचायत चुनाव में नहीं। क्योंकि ये किसी पंचायत में शामिल नहीं हैं, फलस्वरूप पंचायत द्वारा प्रदत्त किसी भी सरकारी योजना से भी ये मरहूम है।

विस्थापितों की कहानी, विस्थापितों की जुबानी

मालूम हो कि 3 जनवरी 2017 को बोकारो इस्पात संयंत्र के कूलिंग पौंड संख्या-दो के बगल में ऐश पौंड के अवैध निर्माण का विरोध कर रहे 10 विस्थापित नेताओं को धोखे से पकड़कर पुलिस ने 4 जनवरी 2017 को जेल भेज दिया है। जिसमें शामिल है, मजदूर संगठन समिति के बोकारो स्टील शाखा के सह सचिव प्रदीप कुमार व संगठन सह-सचिव मोहन महतो एवं विस्थापित बेरोजगार मुक्ति संगठन के अध्यक्ष वासुदेव महतो, सचिव जन्मेजय कुमार, कोषाध्यक्ष निवारण महतो, उप- कोषाध्यक्ष अरूण कुमार, संगठन सचिव श्री प्रसाद, प्रवक्ता अविनाश महतो, सदस्य बबलू कुमार व अशोक महतो। पुलिसिया तानाशाही और पुलिस की सेल प्रबंधन की तलवाचाटू प्रवृत्ति से विस्थापितों में काफी आक्रोश है, जिसका प्रदर्शन 19 जनवरी को हुए जनाक्रोश रैली में उन्होंने किया है।

विस्थापितों में सेल प्रबंधन के खिलाफ घनीभूत चरम आक्रोश के दौर में ही मजदूर संगठन समिति व विस्थापित बेरोजगार मुक्ति संगठन के नेताओं के सक्रिय सहयोग से प्रभावित क्षेत्र में मुझे जाने का मौका मिला। बोकारो इस्पात संयंत्र के चारदिवारी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है चिटाही गांव (महुआर मोजा अंतर्गत)। 80-90 परिवार वाले इस गांव की कुल जनसंख्या 6-7 सौ है।

इस गांव में कुछ पक्के मकान है, तो कुछ कच्चे। इस गांव के युवकों ने 2015 में ही विस्थापित बेरोजगार मुक्ति संगठन का गठन किया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले ये चुप बैठे थे। ये लगातार कई दशकों से विभिन्न विस्थापित संगठनों के बैनर तले लड़ते आ रहे थे। मालूम हो कि इस क्षेत्र में लगभग 56 विस्थापित संगठन है। लेकिन सेल प्रबंधन के पैसे व प्रशासन की ताकत के सामने ये जल्दी ही घुटने टेक देते हैं। विस्थापितों को तो ज्यादा फायदा इन संगठनों से नहीं मिलता है, लेकिन चंद विस्थापित नेता आंदोलन के जरिए मालामाल होते आए हैं। खैर, जब मैं इस गांव में पहुंचा, तो मेरी मुलाकात विस्थापित ग्रामीणों की एक टोली से हुई और सड़क किनारे बैठकर मैंने रिपोर्ट इकट्ठी करनी शुरू कर दी। वहां उपस्थित विस्थापित बेरोजगार मुक्ति संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष संजीव कुमार, उपाध्यक्ष पंकज कुमार, संगठन सह-सचिव अशोक कुमार, गणेश महतो, राजेश कुमार, किशोर कुमार, अजुर्न महतो, शंभू महतो, लखीवाला देवी, सावित्री देवी, गंगा रानी आदि बताते हैं कि गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि जब बोकारो स्टील प्लांट लगने वाला था, तो वे लोग काफी खुश थे कि अब तो हमारे पास में इतना बड़ा उद्योग लगेगा, तो हमारे घर में खुशहाली आएगी। हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अफसोस कि एक पूरी पीढ़ी इन सपनों को अपने आंखों में संजोए इस दुनिया से चले गए, पर उनके सपने पूरे नहीं हुए।

चिटाही के ग्रामीण बताते हैं कि कहां तो हमारे घर में खुशहाली आने वाली थी, लेकिन आया क्या? सिर्फ व सिर्फ बोकारो इस्पात संयंत्र के चिमनियां से उठते हुए धुओं का गुबार और वहां का डस्ट जो ग्रामीणों में फेफड़े से संबंधित बिमारी, कैंसर, चर्म रोग आदि खतरनाक बिमारी के वाहक है। पूरे गांव में एक भी चापाकल नहीं है, मजबूरन सभी को कुएं का पानी पीना पड़ता है, जिसमें बोकारो स्टील प्लांट का डस्ट भरा होता है। ग्रामीण बताते हैं कि भले ही अब तक हमें अपने घरों से व खेतों से नहीं खदेड़ा गया है, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट की चारदीवारी से सटे होने के कारण यहां का सारा डस्ट तो हमारे ही घर व खेत में आता है, जिसके कारण न तो अच्छे से कोई फसल होती है और ना ही कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रह पाता है। हमारे बगल में न जाने कितने

शहरों के लोग आकर काम करते हैं, लेकिन हमारे ही बच्चे बेरोजगार हैं। हमें तो स्वच्छ पानी भी नसीब नहीं है। यहां तक कि किसी भी पंचायत में शामिल ना होने के कारण ना तो हमें वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा आवास, मनरेगा, लाल कार्ड आदि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ मिल पाता है। जबकि बिजली बिल भी हम जमा करते हैं। विधायक कोष से सड़क का निर्माण भी हमारे क्षेत्र में हुआ है। फिर भी हम बीच में फंसे हुए हैं, एक तरफ हमें सेल प्रबंधन अतिक्रमणकारी मानता है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार हमारे गांव को अपने स्वामित्व में मानते हुए भी कल्याणकारी योजनाओं से मरहूम रखता है। इन्हीं सब वजहों से हम सेल प्रबंधन से पुर्नवास व नियोजन की मांग करते हैं।

ग्रामीण बताते हैं कि 3 जनवरी की घटना का हतिहास थोड़ा पुराना है। 2007 में हमारे गांव से 500 मीटर की दूरी पर पावर ग्रिड बनाने का काम शुरू हुआ। इन लोगों ने पावर ग्रिड की स्थापना से हमारे खेतों के होने वाले नुकसान व हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बूरे असर के एवज में पावर ग्रिड में नियोजन की मांग की। वार्ता में सेल के तत्कालीन इडी ने मौखिक रूप से वादा किया कि ग्रामीणों को आइटीआई और अप्रेंटिस का कोर्स करवाकर नियोजन किया जाएगा। लेकिन बाद में वे अपनी बात से मुकर गए। इस बार जब कूलिंग पौंड संख्या-दो के बगल में अवैध ऐश पौंड की मरम्मत की जाने लगी (ये ऐश पौंड 2 सितंबर 2015 को टूट गया था, जिसमें काफी फसल प्रभावित हुए थे और कई मवेशी भी दब गये थे), तो हमने संगठित होकर इसका विरोध किया। कई बार सेल प्रबंधन ने स्थानीय जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कराना चाहा, लेकिन हम लोगों ने काम रोक दिया, क्योंकि हमारे गांव से मात्र 300 मीटर की दूरी होने के कारण अगर फिर से ये पौंड टूटता, तो अनगिनत जान-माल की क्षति होती और साथ ही साथ गर्मी के दिन में ऐश पौंड से छाई उड़कर पूरे गांव के कुएं को भर देती। दूसरी बात ये भी थी कि ये ऐश पौंड ही अवैध था। इसका कोई टेंडर नहीं निकला था। सेल प्रबंधन इस तरह से कई छोटे-छोटे ऐश पौंड का निर्माण कर हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहती है। परिणामस्वरूप 5-7 बार हमारे नेताओं को स्थानीय जिला प्रशासन ने बुलाकर काम चलने देने को कहा। नेताओं को काफी प्रलोभन भी दिया, लेकिन हमलोग नहीं माने तो जबरदस्ती पर उतर आए।

ग्रामीण बताते हैं कि 3 जनवरी की सुबह जब सभी लोग अपने-अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी सूचना मिली कि अपने पूरे लाव-लश्कर के साथ डीएसपी व एसडीओ के नेतृत्व में सेक्टर-4 थाना, सेक्टर-9 थाना, सेक्टर-12 थाना व बालीडीह थाना के झारखंड पुलिस व सैकडों सीआईएसएफ के जवान अग्निशमन, वज्रवाहन व आंसू गैस के गोले से लैस होकर तीन जेसीबी के साथ काम कराने ऐश पौंड पर पहुंच चुके हैं। सूचना मिलते ही जितने लोग गांव में थे, सभी लोग परम्परागत हथियार से लैस होकर काम रोकने के लिए निकल पड़े। साथ ही अगल-बगल के विस्थापित गांव तक भी फोन के माध्यम से जानकारी दे दिये। फलस्वरूप 200 महिला-पुरूष व बच्चे परम्परागत हथियारों से लैस होकर ऐश पौंड पर जमा होकर प्रशासन द्वारा कराऐ जा रहे काम को रोक दिये। काम बंद कराने के फलस्वरूप वहां पर उपस्थित एसडीओ ने हमलोगों को आश्वासन दिया कि गिरफ्तारी देने पर काम बंद करवा दिया जाएगा, अन्यथा जबरन काम कराएंगे। गिरफ्तार कर सभी को जेल भेजने की शर्त पर लगभग 100 महिला-पुरूष व बच्चों ने गिरफ्तारी दिया। लेकिन प्रशासन द्वारा शर्त के मुताबिक सभी को जेल भेजने के बजाय सेक्टर-4 स्थित कुमार मंडलम स्टेडियम में कैंप जेल बनाकर रखा गया। इधर प्रशासन ने अपनी दोगली नीति का परिचय देते हुए कार्यस्थल पर फिर से काम शुरू कर दिया। जिसे फिर से सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने परंपरागत हथियार से लैस होकर बंद करवा दिया।

ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए प्रशासन को अपने तमाम ताम-झाम को समेटकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। जिसका बदला प्रशासन ने कुमार मंगलम स्टेडियम में अपने गिरफ्त में लिये हुए नेताओं से लिया। वहां पर गिरफ्तार किये गये सैकड़ों विस्थापितों को छोड़ दिया गया लेकिन प्रशासन ने धोखेबाजी करते हुए वार्ता के नाम पर हमारे दस नेताओं को सेक्टर-4 थाना ले जाकर गिरफ्तार कर लिया (जिसके नाम आप पहले ही पढ़ चुके हैं)। अपने नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर हमने हजारों महिला-पुरूष व बच्चों के साथ 4 जनवरी को

प्रशासन द्वारा हमारे नेताओं को छोड़ने के बजाय हमलोगों को भी गिरफ्तार कर कुमार मंगलम स्टेडियम ले आये और उधर हमारे नेताओं को जेल भेज दिया।

ग्रामीण बताते हैं कि घटनास्थल सेक्टर-9 थाना क्षेत्र में आता है, फिर सेक्टर-12 थाना में ही रखकर कैसे सेक्टर-9 थाना के प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज कर लिया गया। यह सब मिले हुए हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय में इन्हीं राज्य सरकार से सेल प्रबंधन का मुकदमा चल रहा है, तो फिर कैसे राज्य सरकार की पुलिस सेल प्रबंधन के जरिये विवादित भूमि को कब्जा करने में मदद पहुंचा सकता है। वे लोग बताते हैं कि ये सब मिले हुए हैं। दरअसल सेल ने अपनी तिजोरी का मुंह खोलकर सबको अपने पक्ष में मिला लिया है।

ग्रामीण बताते हैं कि पहले हम अकेले लड़ते थे, लेकिन अब मजदूर संगठन समिति जैसे वफादार क्रांतिकारी कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन का हमें साथ मिल रहा है। पहले हमलोग अपने संगठन विस्थापित बेरोजगार मुक्ति संगठन के झंडे में "काली मां" की तस्वीर लगाते थे। लेकिन अब हमने अपने झंडे का रंग लाल कर लिया है और अपने अधिकार की लड़ाई में अपने खून के अंतिम बूंद तक लड़ेंगे। मजदूर संगठन समिति के साथ होने के कारण ही हमारे महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी व जेल भेजे जाने के बाद भी हम डरे नहीं हैं और ना ही झुके हैं। हम अपने 11 सूत्रीय मांगों (11 सूत्रीय एजेंडा बाद में दिया गया है) को लेकर व अपने नेताओं की रिहाई को लेकर तुरंत ही 5 जनवरी को प्रेस कांफ्रेंस कर आगे की लड़ाई का एलान किये।

12 जनवरी को संयुक्त बैठक कर इस लड़ाई में और भी संगठनों को न्योता देने पर सर्वसम्मति बनी व 19 जनवरी के जनाक्रोश रैली में तमाम विस्थापित संगठनों, लगभग 15 पूर्व विधायकों व कई राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित किया गया। 19 जनवरी को सेक्टर-9 स्थित हटिया मोड़ से सेक्टर-9 थाना होते हुए भगत सिंह चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों महिला-पुरूष व बच्चे शामिल हुए। साथ ही साथ आमंत्रित किये गये अन्य संगठनों में पूरे देश में विस्थापन के खिलाफ लड़ाई के अगुआ संगठन विस्थापन विरोधी जनविकास आंदोलन के झारखंड संयोजक दामोदर तुरी, भाकपा (माले) लिबरेशन के पूर्व विधायक विनोद सिंह, माले नेता देवदीप सिंह दिवाकर व झारखंड रक्षक मोर्चा व मार्क्सवादी समन्वय समिति के नेतागण भी शामिल हुए। जनाक्रोश रैली से लड़ाई को और आगे ले जाने का एलान किया गया और इसे अब राष्ट्रीय स्वरूप देने का भी निर्णय लिया गया है। (रिपोर्ट लिखे जाने तक गिरफ्तार विस्थापित नेता जेल में बंद है, सीजीएम ने बेल रिजेक्ट कर दिया है और अब जिला कोर्ट में अपील किया गया है)। भ्रष्टाचार का पर्याय है बोकारो इस्पात संयंत्र चिटाही गांव से निकलते ही और कुछ लोग साथ हो गये व कुछ महत्वपूर्ण जगहों को देखने का अवसर मिला। मजदूर संगठन समिति के बोकारो स्टील शाखा सचिव अरविंद कुमार साव, उपाध्यक्ष राजू कुमार व केंद्रीय सचिव दीपक कुमार के साथ-साथ विस्थापित बेरोजगार मुक्ति संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष संजीव कुमार व उपाध्यक्ष पंकज कुमार के साथ कूलिंग पौंड संख्या-दो के बगल में बने ऐश पौंड देखने गया। उन लोगों ने बताया कि बोकारो इस्पात संयंत्र से निकलने वाला कचरा युक्त गरम पानी को ड्रिजिंग के माध्यम से कचरे को ऐश पौंड में पहुंचाया जाता है और पानी को कूलिंग पौंड में, फिर यही पानी रिफाइन होकर प्लांट में जाती है। लेकिन प्रबंधन की अकर्मण्यता के कारण कूलिंग पौंड संख्या-दो का 60 प्रतिशत हिस्सा अब दलदल बन चुका है। क्योंकि कूलिंग पौंड में उस पानी के आने के 16 जगहों में से 12 अब बंद है, मात्र चार के माध्यम से ही पानी कूलिंग पौंड में आती है और ये चार भी राम भरोसे ही है। कचरा व पानी अलग-अलग ना होने के कारण कूलिंग पौंड संख्या-दो दलदली क्षेत्र बन गया है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 10-20 लोग जरूर मरते हैं और मवेशियों का तो पता ही नहीं चलता। हमलोग प्लांट से गरम पानी निकलकर कूलिंग पौंड में आने वाले जगह का निरीक्षण किये। वहां देखकर साफ लगा कि सेल प्रबंधन का अधिकारी कितना अकर्मण्य है।

अगर प्रबंधन का अधिकारी निरीक्षण करता, तो बंद पडे 12 जगह को खोलता। हमारे साथ चल रहे नेताओं ने कहा कि अगर कल ये चार भी बंद ही विस्थापितों के अगुवा संगठन बनने की ओर मजदूर संगठन समिति मजदूर संगठन समिति के केंद्रीय सचिव दीपक कुमार, बोकारो स्टील शाखा सचिव अरविंद कुमार साव, उपाध्यक्ष राजू कुमार व कन्हाई

जाएंगे, तो सेल का काम भी बंद हो जाएगा। फिर सारे आरोप विस्थापितों पर लगेंगे। वहां से निकलकर ऐश के मरूस्थल में जाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। वहां से जैसे ही निकले, तो दो पुलिस वाले कूलिंग पौंड संख्या-दो पर मुंह धोते नजर आए। हमारे साथ चल रहे नेताओं को वे पहचानते थे। पुलिस वाले ने देखते ही कहा कि "आप लोग थाने में नहीं आये, आइयेगा, बड़ा बाबू खोज रहे थे।" बाद में हमें यह पता चला कि अपने गुप्तचरों के माध्यम से खबर पाकर वह हमलोगों की गतिविधि जानने ही पहुंचा था।

बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंधन की दलाली व इनके भ्रष्टाचार को छुपाने में पूरा प्रशासनिक अमला, राजनीतिक पार्टियों के नेता व भ्रष्ट मजदूर संगठन भी मशगूल हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए कुल अधिगृहित उपयोग की गयी भूमि मात्र 17751.275 एकड़ है, जिसमें बोकारो इस्पात संयंत्र की चारदीवारी के अंदर का भूक्षेत्र मात्रा 3000 एकड़ है। बांकि भूमि कई बड़ी-बड़ी कम्पनियों को बोकारो इस्पात संयंत्र ने लीज पर दे दिया है। जिसमें डालमिया सीमेंट जैसी कम्पनी भी है और बियाडा के तहत सैकड़ों छोटी-बड़ी कम्पनियां। जबकि सबलीज देना कानून का भी उल्लंघन है। लेकिन जब सत्ताधारी व विपक्षी तमाम पार्टियों का साथ हो, तो फिर कानून की बिसात ही क्या? एक बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिनकी जमीन पर प्लांट बना है, उन्हें तो साफ पानी तक नहीं मिलता, लेकिन बोकारो जिला के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, बोकारो व इसके इर्द-गिर्द तमाम जिले के विधायकों व सांसदों को बोकारो इस्पात संयंत्र ने क्वार्टर उपलब्ध कराया है। अपने पिट्ठू मजदूर संगठनों को कई क्वार्टर दिये गये हैं। उदाहरणस्वरूप बोकारो इस्पात कामगार यूनियन को 6 क्वार्टर, बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन को 14 क्वार्टर्स दिये गये हैं। साथ ही तमाम राजनीतिक दलों को भी कार्यालय के लिए क्वार्टर मिले हैं। इन लोगों को क्यों क्वार्टर दिया गया है, आप समझ सकते हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र के वादे और धोखे

बोकारो स्टील के विस्थापित गांव के प्रमुख सभी लोगों की बैठक में 17 फरवरी 1968 को बोकारो स्टील के तत्कालीन मैनेजिंग डाइरेक्टर के एन जॉर्ज ने कहा था कि प्लांट की नियुक्तियों में विस्थापितों को प्राथमिकता मिलती रहेगी। अकुशल वर्ग के पद जैसे मजदूर, मैसेंजर, माली, खलासी आदि इनके लिए सुरक्षित हैं। प्रत्येक कार्य करने लायक विस्थापित व्यक्ति जो कार्य करना चाहते हैं, उन्हें कहीं न कहीं नियोजन अवश्य मिले। बोकारो स्टील की ओर से मिलने वाले दुकानों में भी विस्थापितों को प्राथमिकता दी जाएगी। विस्थापितों की शिकायत दूर करने के लिए एक अलग कार्यालय खोला जाएगा। परन्तु बोकारो स्टील प्लांट के प्रबंधन ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। बिहार सरकार के विशेष सचिव ने 15 सितंबर 1983 को बोकारो स्टील प्लांट के प्रबंध निदेशक को खत लिखकर वर्ग चार के पदों पर विस्थापितों की नियुक्ति का आग्रह किया, लेकिन प्रबंधन के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। वर्तमान में वर्ग चार के पदों पर ठेके पर मजदूर रखे जा रहे हैं। दुकानों में विस्थापितों की प्राथमिकता को इस बात से ही समझा जा सकता है कि सेक्टर-4 स्थित 638 दुकानों में से मात्र 29 दुकान ही विस्थापितों को मिले हैं। विस्थापितों की शिकायत की बात ही जुदा है, रोज-ब-रोज विस्थापितों के हो रहे आंदोलनों को पुलिस की लाठी व जेल से दबाया जाता है।

बोकारो स्टील प्रबंधनन दावा करता है कि निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के फंड से 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले समस्त परिक्षेत्रिय गांवों/पुर्नवास क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य किये जाते हैं। 2015-16 में 1460 लाख रूपये सीएसआर के तहत दिया गया है। लेकिन जब मैं ऐश के मरूस्थल पर पहुंचा यानी कि मैं जहां खड़ा था उसके चारों तरफ ऐश का ही पहाड़ था, जो कि गर्मी में हवा चलने पर उड़कर तमाम घरों में पहुंचते हैं। मेरे साथ के नेताओं ने बताया कि गर्मी में 5 मीटर पर खड़ा आदमी भी आपको दिखाई नहीं देगा। वे सभी 19 विस्थापित गांव भी बोकारो स्टील प्लांट के मात्र सात-आठ किलोमीटर की परिधि में ही है, लेकिन अधिकांश गांवों में पानी के लिए चापाकल तक नहीं है, किसी-किसी गांव में है भी तो मात्र एक या दो। एक भी गांव में उच्च विद्यालय नहीं है और ना ही अस्पताल है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये 1460 लाख रूपये गये कहां?

महतो (ये सभी नेता भी विस्थापित गांवों से ही है) बताते हैं कि पहले से ही कई संगठन आंदोलन कर रहे थे लेकिन सिर्फ कुछ मांगों को ही लेकर। हमलोगों ने 11 सूत्रीय एजेंडा पर 15 जून से 4 जुलाई 2013 तक स्लोगन प्रदर्शन किया।

मजदूर संगठन समिति (बोकारो स्टील शाखा) की मुख्य मांगें:-

- विस्थापितों के लिए आरक्षित चतुर्थ वर्गीय पद को अविलम्ब चालू करें।
- पत्रांक संख्या 01/78 डी.एल. ए. नीति बी. एस. एल. द्वारा पालन करें।
- 19 गांवों को अविलम्ब पंचायत का दर्जा दिया जाए।
- सरप्लस किया हुआ जमीन पर बी. एस. एल. अपना हस्तक्षेप बंद करे।
- 18 साल से उपर सभी विस्थापितों को उसके योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाए।
- ठेका मजदूरों की असुविधा केा देखते हुए बी. एस. एल. गेट नं.-5 से ठेका मजदूरों को आने-जाने का सुविधा दिया जाये।
- 10 किलोमीटर चौतरफा ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक दायित्व के अंतर्गत पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, रोजगार आदि की व्यवस्था किया जाए।
- बी. एस. एल. विस्थापित परिवार के शिक्षित आश्रितों को सामाजिक दायित्व के तहत आई. टी. आई. एवं अप्रेंटिस का प्रशिक्षण कराकर सेल के अंदर नौकरी में बहाली किया जाए।
- ठेका मजदूरों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य सुविधा दिया जाए।
- स्थायी प्रकृति में कार्यरत ठेका मजदूरों को स्थायी किया जाय अथवा समान काम का समान वेतन एवं अन्य सुविधा लागू किया जाए।
- कोलियरी के तरह सेल में कार्यरत ठेका मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन 464 रू किया जाय।

पहले-पहले हमारे विस्थापित भाई भी हमारे एजेंडे को अति मानते थे। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने हमारे एजेंडों को माना और हमारे एजेंडे के पक्ष में गोलबंद हुए। परिणामस्वरूप 1 जुलाई 2014 को गांधी चौक से नया मोड़ तक जब मशाल जूलूस निकाला गया, तो उसमें 4 से 5 हजार लोग शामिल हुए। 7 जुलाई 2014 को सीओ आवास के घेराव में 8 घंटे तक सीओ को अंदर ही बंधक बनाया गया। 8 जुलाई को त्रिपक्षीय वार्ता का आश्वासन मिलने के बाद हमलोगों ने घेराव हटाया, लेकिन कोई वार्ता नहीं हुई। हमलोग लगातार विस्थापितों के सवाल पर आंदोलन प्रदर्शन करते रहे हैं और वार्ता में सिर्फ नेता नहीं बल्कि अधिक से अधिक महिला-पुरूष विस्थापित भी शामिल होते हैं। इस जुझारू संघर्ष का ही परिणम है कि आज हमारा संगठन विस्थापितों की आवाज बनकर उभर रहा है।

भाजपा सरकार ने अडाणी को दी 1700 एकड़ जमीन, विरोध में स्थानीय आदिवासियों ने जमीन नहीं देने का संकल्प दोहराया

झारखण्ड के गोड्डा जिले के मोतिया गांव में अडानी को पावर प्लांट के लिए दी जा रही 1700 एकड़ बहुफसलीय जमीन के खिलाफ मोतिया रैयत संघ के बैनर तले 16 फ़रवरी 2017 को ऐतिहासिक रैली निकाली गई है । इस पावर प्लांट के लिए मोतिय गांव के आस-पास की 14 मौज़ा के किसानों की 1700 एकड़ बहुफ़सली खेती की जमीन को चिन्हित किया गया है। इस परियोजना से मोतिया, सोनडीहा, पटवा, पुरबेडीह, रमनिया, पेटनी, कदुआ टीकर, गंगटा, नयाबाद, बसंतपुर, देवन्धा, गुमा, परासी एवं देवीनगर सहित दर्जनों गांव के लगभग 30हजार लोग पूर्णतः विस्थापित होंगे तथा लगभग 1.5 लाख लोग प्रभावित होंगे। भजपा सरकार किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण करने पर अमादा है जिसका यहाँ के निवासी पुरजोर विरोध कर रहे है। हम यहां पर आपके साथ मणी भाई की टिप्पणी साझा कर रहे है;

झारखण्ड के गोड्डा जिले में 16 फरवरी को अडानी पावर प्लांट के खिलाफ ऐतिहासिक भीड़ का नजारा देखने को मिला, भारी संख्या में सड़क पर उतरे रैयतों को अडानी कम्पनी वापस जाओ, वापस जाओ का नारा बुलंद करते देखा गया। किसानों-मजदूरों के हाथों में अडानी कम्पनी गो बैक-गो बैक की तख्ती देखी गई, प्रदर्शन कर रहे लोगों को जान देंगे-जमीन नहीं देंगे का नारा तेज करते देखा गया। झाविमो विधायक प्रदीप यादव के नेतृत्व में किए जा रहे विशाल प्रदर्शन के कारण शहर की मुख्य सड़क दूर-दूर तक पटी नजर आई।

अपनी विशेष मांगों को लेकर तीन महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे लोगों को आज भी समहारणालय के समक्ष प्रदर्शन करते देखा गया, मीडिया सम्बोधन के बाद सात सदस्यीय टीम ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा तथा मांग की कि आगे की कार्यवाही संबैधानिक तरीके से कराई जाए। आज के महासंग्राम समर में मोतिया, नयाबाद, समरूआ, गंगटा, समरूआ व अन्य गावों के लोगों की उपस्थिती देखी गई। मौके पर पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण 2013 का पालन नहीं कर रही, 90 प्रतिशत लोग अपनी बहुफसलीय जमीन नहीं देना चाहती है।

प्राकृतिक संसाधन के असीमित लूट की हवस का परिणाम है ललमटिया खदान हादसा

झारखंड के गोड्डा जिलान्तर्गत कोल इंडिया के सहायक कंपनी इसीएल की राजमहल परियोजना के ललमटिया में भोड़ाय कोल माइंस साइट में 29 दिसंबर 2016 की रात में खदान धंसने से हाहाकार मच गया। 30 दिसंबर को डीजीपी व मुख्य सचिव जिस जगह पर खड़े होकर मुआयना कर रहे थे, वहां नीचे मलबे में 41 कर्मी और मशीनें दबी हुई थी। रेस्क्यू टीम के द्वारा लगातार मलबा हटाने के बाद भी मात्र 16 लाशें ही मिल पाई है और 25 लाशें अब तक भी नहीं मिल पाई है, प्रबंधन लीपापोती में लगी हुई है। प्राकृतिक संसाधनों की असीमित लूट की हवस का परिणाम है ललमटिया खदान हादसा। देश में नयी आर्थिक नीति लागू होने के बाद से कोयला उद्योग में बड़े पैमाने पर आउटसोर्स का दौर शुरु हुआ। कोल इंडिया में वर्त्तमान में भूमिगत एवं खुली खदानों की कुल संख्या 452 है। फिलहाल 90 फीसदी खदानों में कोयला उत्पादन व ओबी रिमूवल का काम आउटसोर्सिंग कंपनियां कर रही हैं। पेश है स्वतंत्र पत्रकार रूपेश कुमार सिंह की रिपोर्ट;

झारखंड के गोड्डा जिलान्तर्गत कोल इंडिया के सहायक कंपनी इसीएल की राजमहल परियोजना के ललमटिया में भोड़ाय कोल माइंस साइट में 29 दिसंबर की रात में खदान धंसने से हाहाकार मच गया। खदान धंसने की खबर जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल गई, अगल-बगल के गांवों के हजारों लोग घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन घटना की भयावहता ने सबको हिलाकर रख दिया। घटनास्थल के आसपास खदान में दबे मजदूरों को निकालने की कोई भी सुविधा न होने के कारण लोग उद्वेलित भी हुए, लेकिन उनके पास आक्रोश के अलावा और कुछ भी नहीं था, जिससे वे खदान में दबे मजदूरों को बाहर निकाल सकते थे।

मालूम हो कि इसीएल राजमहल परियोजना की ललमटिया के भोड़ाय साइट में पिछले 10 सालों से खुदायी का काम चल रहा था, इसलिए इसे डीप माइनिंग के नाम से भी जाना जाता था। खदान में पहले ही काफी खनन कार्य हो चुका था। चारों ओर से खदान खंडहर हो गया था, इसमें और अधिक खनन साफ तौर पर मौत को दावत थी। फिर भी आश्चर्यजनक तो यह है कि 27 दिसंबर को इसीएल के सीएमडी आर आर मिश्रा राजमहल परियोजना का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने भोड़ाय साइट का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद भोड़ाय साइट को बंद करने के बजाय यहां से और अधिक खनन का निर्देश दिया व साथ ही साथ भोड़ाय गांव को हटाने का भी निर्देश दे दिया। इन घटनाक्रम से स्पष्ट हो जाता है कि इसीएल प्रबंधन की ज्यादा से ज्यादा खनन की हवस ने ही इस भयानक हादसे को निमंत्रण दिया।

जब पृष्ठभूमि इतनी स्पष्ट हो तो हादसा तो होना ही था। सुपरवाइजरों, ड्राइवरों व मजदूरों की मानें तो वहां छोटे से जगह में फंसे कोयले को निकालने के लिए 29 दिसंबर को शाम 4 बजे ब्लास्ट किया गया। उस वक्त नीचे 80 मशीन व पे लोडर कार्यरत थे। उन लोगों को ब्लास्टिंग के बाद स्लाइडिंग का आभास हुआ, फलस्वरूप कई कर्मी जबरन वहां से मशीन लेकर भाग गए। (एक रोचक बात ये भी है, अगर वहां काम कर रहे कर्मियों की मानें तो तीन दिन पहले खदान के निचले हिस्से में दरार आ जाने के कारण काम बंद कर दिया गया था। 29 दिसंबर यानी हादसे के दिन इसीएल के प्रबंधक प्रमोद कुमार कंपनी के कैंप में आए और वहां काम करने की अनुमति दी, साथ ही साथ उन्होंने कर्मचारियों को धमकी दी कि काम नहीं करने पर पदमुक्त कर दिया जाएगा। मजबूरन काम शुरु करना ही पड़ा।) जो लोग भाग गए, वे तो बच गए लेकिन जो रोजी-रोटी के वास्ते काम पर ही डटे रहे, वे मलबे में तब्दील हो गए। वहां काम कर रहे कंपनी के लोगों के अनुसार घटना के वक्त करीब 41 लोग अंदर काम कर रहे थे और साथ में 35 हाइवा, 4 पे लोडर व 1 डोजर भी काम कर रहा था। सब के सब खदान धंसने से 300

फीट गहरी खाई में समा गया। नववर्ष की खुशी के बदले 41 परिवार मातम में डूब गए। खद्दरधारी नेताओं के घड़ियाली आंसू बहने शुरु हो गए और झूठी सांत्वना का दौर भी। आरोप-प्रत्यारोप का खेल भी जारी हो गया। फटाफट कोल इंडिया ने भी हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया और इसका जिम्मा दिया गया सीएमपीडीआइ के सीएमडी शेखर शरण के नेतृत्व में गठित टीम को। कमेटी एक माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी दुर्घटना के कारण, लोगों की गलती, क्या दुर्घटना रोकी जा सकती थी आदि पहलूओं की जांच करेगी। कोल इंडिया ने तो कमेटी गठित कर व मृतकों को मुआवजे की घोषणा कर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं।

आखिर इन सवालों के जवाब कौन देंगे?

- पहला सवाल तो ये उठता है कि इस जोन को वर्षों पहले डेंजर जोन घोषित किया गया था, इसके बावजूद 2012 में यहां महालक्ष्मी खनन कंपनी को खनन की अनुमति क्यों दी गयी?
- दूसरा सवाल यह है कि इसीएल के सीएमडी व प्रबंधक ने अपने दो-तीन दिन पहले किये गये निरीक्षण में यहां और अधिक खनन की अनुमति क्यों दी?

मामला साफ है कि इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके जवाब में कोल प्रबंधन व कोल माफिया दोनों फंसेंगे और सरकार पर भी फंदा कसेगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुर्घटना घटने के 24 घंटे बाद पटना व रांची से रेस्क्यू टीम पहुंची क्योंकि वहां कोई रेस्क्यू टीम मौजूद ही नहीं था। इसीएल प्रबंधन व महालक्ष्मी खनन कंपनी ने दुर्घटना के बाद डीजीपी व मुख्य सचिव के दुर्घटनास्थल के दौरे की सूचना पाकर घटनास्थल से मलबा हटाने के बजाय रातोंरात वहां सड़क बना दी। 30 दिसंबर को डीजीपी व मुख्य सचिव जिस जगह पर खड़े होकर मुआयना कर रहे थे, वहां नीचे मलबे में 41 कर्मी और मशीनें दबी हुई थी।

रेस्क्यू टीम के द्वारा लगातार मलबा हटाने के बाद भी मात्र 16 लाशें ही मिल पाई और 25 लाशें अब तक भी नहीं मिल पाई है, प्रबंधन लीपापोती में लगी हुई है। 12 जनवरी 2017 को झारखंड हाईकोर्ट ने इसीएल (इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड) की राजमहल कोल परियोजना के ललमटिया खदान हादसे को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि 1. इस हादसे में कितने कर्मियों की मौत हुई है? 2. कितने शव बरामद किये गये हैं? 3. कितने कर्मियों को खदान के अंदर भेजा गया था? 4. कितने कर्मी अब तक लापता हैं? 5. अब तक क्या-क्या दस्तावेज जब्त किए गए हैं और क्या कार्रवाई की गई है? 6. रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति है? कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस शेफ्टी (डीजीएमएस) को शपथ पत्र दायर कर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व डीजीएमएस की ओर से मौखिक रूप से बताया गया कि ललमटिया खदान का कोई माइनिंग प्लान स्वीकृत नहीं था। इसके लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी। कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया जा रहा था।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों की असीमित लूट की हवस का परिणाम है ललमटिया खदान हादसा। देश में नयी आर्थिक नीति लागू होने के बाद से कोयला उद्योग में बड़े पैमाने पर आउटसोर्स का दौर शुरु हुआ। कोल इंडिया में वर्त्तमान में भूमिगत एवं खुली खदानों की कुल संख्या 452 है। फिलहाल 90 फीसदी खदानों में कोयला उत्पादन व ओबी रिमूवल का काम आउटसोर्सिंग कंपनियां कर रही हैं। खदानों में सुरक्षा को लेकर समय-समय पर दिखावटी रूप से सुरक्षा समिति की बैठक जरूर होती है, लेकिन किसी भी खदान में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं होता है। अत्यधिक कोयला उत्पादन की हवस ने माइंस को मौत का कुआं बना दिया है। ललमटिया खदान हादसा एक चेतावनी है कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन मत करो, अन्यथा इसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन सरकारों से अत्यधिक दोहन न करने की आशा करना मूर्खता ही है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन को जल-जंगल-जमीन को उनके परंपरागत मालिकों को सौंपकर ही रोका जा सकता है और ललमटिया जैसे हादसों से भी छुटकारा पाया जा सकता है।

आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए हुए कानूनों में संशोधन के खिलाफ एकताबद्ध झारखंडी आवाम

झारखंड की आदिवासी आबादी तक यह संदेश पहुंचा दिया गया है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास की भाजपा सरकार उनकी जमीन हड़पकर कॉरपोरेट घरानों को सौंपना चाह रही है। यह संदेश भाजपा विरोधी राजनीतिक ताकतों ने पहुंचाया है।

उन्हें ऐसा करने का मौका स्वयं राज्य सरकार ने 03 मई 2016 को दे दिया था जब सौ साल से ज्यादा पुराने कानून छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट-(सी एन टी) और संथाल परगना टेनेंसी (सप्लिमेंटरी) एक्ट (एस पी टी) 1949 में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर किया गया।

सरकार की नीयत पर शक

ये कानून राज्य की अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को बाहरी लोगों के लालच से बचाने के लिए बनाए गए थे।

इसके तहत जमीन खरीद-फरोख्त पर पाबंदी है। यह कानून संविधान की नौंवी सूची में शामिल है, यानी इसकी समीक्षा नहीं हो सकती। बिना व्यापक विचार-विमर्श के ऐसे कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने का प्रयास सरकार की नीयत पर शक पैदा करता है।

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने भी बिना किसी संकोच के 28 जून 2016 को अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिया। हालांकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे सलाह के लिए केंद्र को लौटा दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने 06 सितंबर को राष्ट्रपति से इसे मंजूर न करने की सिफारिश की। बावजूद इसके, 23 नवंबर- 16को विपक्ष के विरोध को दरकिनार कर सरकार ने प्रस्तावित संशोधनों को मात्र तीन मिनट में विधानसभा से पारित करा कर अपनी मंशा और साफ कर दी।

जबरदस्त नाराजगी

इसके बाद आदिवासी गांवों में फिर से विद्रोह के नगाड़े बजने लगे हैं। गोष्ठियां हो रही हैं. पूर्वजों के बलिदान को याद किया जा रहा है। आदी विद्रोही तिलका मांझी (85-1750और वीर बिरसा मुंडा (-1875 (1900से लेकर अलग राज्य के आंदोलन का नेतृत्व करनेवाले शिबू सोरेन तक की गाथाएं सुनाई जा रही है।

असंतोष की एक झलक 25 नवंबर को संशोधनों के खिलाफ 'झारखंड बंद' के दौरान दिखा जब 10 से ज्यादा वाहन जला दिए गए और करीब 10 हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया।

आदिवासी बहुल संताल में तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और उनपर तीर से हमले किए गए। दुमका में कॉलेज हॉस्टल से करीब 25 हजार तीर, धनुष व परंपरागत हथियार जब्त किए गए।

कैसे बना था यह कानून

सीएनटी उस समय अस्तित्व में आया था जब तमाम तरह के दमनात्मक हथकंडों के बाद अंग्रेजों ने मान लिया था कि इस इलाके को अपने अधीन बनाए रखना मुश्किल है।

इसलिए 'एक हाथ दो एक हाथ लो' की नीति पर अंग्रेज हुकूमत ने बिरसा के शहीद होने के महज आठ साल के भीतर इस विशेष कानून के तहत स्थानीय लोगों को विशेष अधिकार प्रदान किए। बदले में यह आशा की गई कि आदिवासी अंग्रेजों की हुकूमत स्वीकार करेंगे।

क्यों हो रहा है विरोध?

एक्ट में संशोधन आदिवासियों के हित में होने के सरकारी दावे के बावजूद विरोध की वजह को कानून के विशेषज्ञ एडवोकेट रश्मि कात्यायन ने विस्तार से समझाया।

क्षेत्र विशेष के लिए बनाए गए इस खास सीएनटी एक्ट के सेक्शन 21, सेक्शन- (2)(1)49व सेक्शन 71 (ए) में और इसी के अनुरूप एसपीटी के सेक्शन- 13 संशोधन किए गए हैं. वर्तमान कानून आदिवासियों की कृषियोग्य भूमि पर ही लागू है।

सेक्शन- 21में संशोधन के द्वारा उसके गैरकृषि इस्तेमाल को नियमित करने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। कहा गया है कि सीएनटी के लागू रहने के बावजूद सरकार जमीन के गैरकृषि उपयोग के लिए नियम बनाएगी।

समय-समय पर राज्य सरकार इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार गैरकृषि लगान थोप सकती है। संशोधन विरोधी आशंका जता रहे हैं कि ऐसा होने पर सरकारों को जमीन का उपयोग बदलने की असीमित ताकत मिल जाएगी। एकबार ऐसा हो गया तो उक्त जमीन सीएनटी-एसपीटी एक्ट से बाहर हो जाएगी। ऐसा होते ही आदिवासियों को बेदखल करना आसान हो जाएगा।

पूर्व में हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से ऐसे कई फैसले आए हैं जिनमें उपयोग बदल जाने के बाद उसे सीएनटी-एसपीटी के तहत प्राप्त विशेष सुरक्षा से बाहर माना गया है।

गले नहीं उतर रहा सरकारी दावा

इन आशंकाओं को निर्मूल साबित करने के लिए सरकार ने बाद में यह प्रोविजन जोड़ दिया है कि उपयोग बदलने के बावजूद मालिकाना जमीन मालिक का ही रहेगा। पर, यह कैसे संभव होगा इसे बताया नहीं गया है।

राज्य के पहले मुख्यमंत्री व झारखंड विकास मोर्चा (जेवीएम) के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी तो इसे सीधा-सीधा सरकार का झूठ मानते हैं। कहते हैं ' यह भाजपा का वैसा ही झूठ है जैसा कश्मीर में धारा-370 हटाने और बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने के लिए वह बोलती रही है। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मैं भी वहीं से निकला हूं।

डिमना बांध : टाटा के विरोध में विस्थापितों का अनशन

2 मार्च 2017; झारखण्ड के तिलका प्रतिमा स्थल मिर्जाडीह हाट (जमशेदपुर) मैदान में डिमना बांध विस्थापितों का एक दिवसीय अनशन एवं धरना कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन झारखण्ड मुक्ति वाहिनी और ग्राम सभाओं की ओर से संस्थापक दिवस 3 मार्च के एक दिन पहले किया गया है। टाटा कंपनी के संस्थापक जे एन टाटा के जन्मोस्तव को टाटा स्टील एक भव्य के रूप में मनाया जाता रहा है, इस उत्सव को पर्दाफाश करने के विचार से ही विस्थापितों के प्रतिकार का यह आयोजन हुआ।

टाटा कंपनी और डिमना लेक का निर्माण ग्रामीणों के विस्थापन और बदहाली का कारण बना है। संस्थापक दिवस का उत्सव आप झारखंडी ग्रामीणों के खुशी का अवसर नहीं विरोध का मौका है।

अनशन पर रंजीत सिंह, सोहन सिंह, अजित सिंह, जादव सिंह, देवेन सिंह, झंटु सिंह, काजल सिंह, लुसका सिंह, विनोद कुमार इसके साथ अच्छी संख्या में स्त्री पुरुष धरना पर थे।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने तथा समावेश को संबोधन करने वालों में मदन मोहन, दीपक रंजीत, धर्मराज, मिथुन, सोहन सिंह, कपूर बागी, देवेन सिंह, कुमार मार्डी, लोबोधन महतो, हरीश भूमिज और अन्य लोगों का उल्लेखनीय भूमिका रही।

अनशन का समापन जुगसलाई में विधायक राम चन्द्र सहिस एवं बोड़ाम के जिला परिषद् सपन कुमार महतो ने संयुक्त रुप से जूस पिलाकर किया।

साथ ही विधायक ने कहा कि वे हमेशा से विस्थापितों के संघर्ष के साथ रहा है। साथ ही आश्वासन दिया कि डिमना बाँध विस्थापितों का समस्या टाटा से लेकर विधानसभा तक पहुचाएंगे।

डिमना के विस्थापित कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी, कर्मचारियों की तरह समान नौकरी-शिक्षा-चिकित्सा सुबिधा, बाँध में अनअधिग्रहित जमीन में फसल बरबादी का एकमुश्त मुआवजा, नौकाचलन एवं मत्स्य पालन का अधिकार विस्थापितों को दिया जाय. इसके अलवा अन्य 13 मांगों पर संघर्षरत रहे हैं।

यह अनशन सह धरना इस संकल्प की अभिव्यक्ति है कि जबतक पूरा नहीं होता आन्दोलन जारी रहेगा। यह कार्यक्रम अगले धारदार और बड़े आन्दोलन की तैयारी के रूप रूप में भी आयोजत की गयी है।

- दीपक रंजीत

बिना मुआवजा दिए, ज़मीन से बेदखल किसानों पर पुलिसिया जुल्म : नेवली थर्मल पॉवर प्लांट के लिए जमीन की लूट पर पीयूसीएल की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के कानपूर के घाटमपुर तहसील के लहुरीमऊ गाँव में जबरन लगाए जा रहे नेवली पॉवर प्लांट के क्षेत्र का 11 जनवरी 2017 को पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCl) के एक स्वतंत्र जाँच दल ने दौरा किया । दल में पीयूसीएल कानपुर इकाई के अध्यक्ष विजय चावला, उपाध्यक्ष राम शंकर के साथ रिहाई मंच के शरद जायसवाल और राजीव यादव शामिल थे। यमुना के किनारे स्थित लहुरीमऊ गाँव के जानकी धर्मशाला में किसान पिछले साल के 21 नवम्बर से धरने पर बैठे हैं. यहाँ के किसान जिस जानकी धर्मशाला में धरना दे रहे हैं, वहां से चंद मीटर के फासले पर निर्माणाधीन नेवली पॉवर प्लांट है जो किसानों से अधिग्रहित की गयी ज़मीन पर बनाया जा रहा है. नेवली पॉवर प्लांट के द्वारा अधिग्रहित भूमि को बिना मुआवजा दिए कब्ज़ा कर लेने के विरोध में यहाँ आठ गाँव के किसानों के द्वारा लगभग दो महीने से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है. उन आठ गाँव में सिंधौल, बगरिया, लहुरीमऊ, रामपुर, बाँध, धरछुआ, असवारमऊ, सिरसा, कासिमपुर हैं. इन आठ गाँव के तकरीबन 1850 किसानों से पॉवर प्लांट के लिए जमीन को कब्जे में लिया गया है. ज़मीन को अधिग्रहित करने का काम चार साल पहले ही सरकार के द्वारा किया जा चुका है जबकि मुआवज़े की रकम अभी कुछ ही लोगों को दी गयी है. पिछले चार सालों से यहाँ के अधिकाँश किसानों को न तो कोई मुवाज़ा मिला है और ज़मीन से बेदखल किये जाने के चलते ये अपने खेत में खेती भी नहीं कर पा रहे हैं. पेश है जाँच दल की विस्तृत रिपोर्ट;

उत्तर प्रदेश के कानपुर से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर घाटमपुर तहसील के लहुरीमऊ गाँव (थाना-सचेती) में नेवली पॉवर प्लांट के द्वारा अधिग्रहित की गयी ज़मीन के खिलाफ व उचित मुआवज़े के सवाल पर यहाँ के किसान पिछले 21 नवम्बर 2016 से लोकतांत्रित तरीके से धरना दे रहे थे. 15 दिसम्बर 2016 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की एक सभा में उपद्रव करने के नाम पर यहाँ के किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया, फिर 18 दिसम्बर 2016 को पुलिस पर हमला करने के नाम पर विभिन्न धाराओं में किसानों पर मुक़दमे दर्ज किये गए. इन सबके बावजूद किसानों का धरना व प्रतिरोध ज़ारी रहा. मीडिया में आई ख़बरों के मुताबिक इसी 18 जनवरी को किसानों के आन्दोलन को ख़त्म करने के उद्देश्य से आन्दोलन के दो प्रमुख नेताओं को स्थानीय प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया.

उचित मुआवज़े को लेकर चल रहे इस आन्दोलन के प्रति अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए व किसानों व आदोलन के प्रति सरकार की भूमिका पर मामले की हकीकत जानने के लिए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCl) का एक जांच दल 11 जनवरी 2017 को घाटमपुर तहसील के लहुरीमऊ गाँव में गया. जांच दल में पत्रकार व पीयूसीएल कानपुर इकाई के अध्यक्ष विजय चावला, पीयूसीएल कानपुर इकाई के उपाध्यक्ष राम शंकर, रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव व रिहाई मंच के नेता व स्वतंत्र पत्रकार शरद जायसवाल शामिल थे. जांच दल ने गाँव के किसानों से ज़मीन, मुआवज़े, पुलिस-प्रशासन की भूमिका, सरकार की भूमिका व आन्दोलन की स्थिति पर बात-चीत की. इसके साथ-साथ जांच दल ने नेवली पॉवर प्लांट के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की लेकिन पॉवर प्लांट के सारे अधिकारी वहां से नदारद थे. एक अधिकारी वहां मौजूद भी थे पर उन्होंने जांच दल से बात-चीत करना मुनासिब नहीं समझा. किसानों से हुई बात-चीत के आधार पर तैयार की गयी संक्षिप्त रिपोर्ट इस प्रकार है.

यमुना के किनारे स्थित लहुरीमऊ गाँव के जानकी धर्मशाला में किसान पिछले साल के 21 नवम्बर से धरने में बैठे हैं. यहाँ के किसान जिस जानकी धर्मशाला में धरना दे रहे हैं, वहां से चंद मीटर के फासले पर निर्माणाधीन नेवली पॉवर प्लांट है जो किसानों से अधिग्रहित की गयी ज़मीन पर बनाया जा रहा है. नेवली पॉवर प्लांट के द्वारा अधिग्रहित

भूमि को बिना मुआवजा दिए कब्ज़ा कर लेने के विरोध में यहाँ आठ गाँव के किसानों के द्वारा लगभग दो महीने से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है. उन आठ गाँव में सिंधौल, बगरिया, लहुरीमऊ, रामपुर, बाँध, धरछुआ, असवारमऊ, सिरसा, कासिमपुर हैं. इन आठ गाँव के तकरीबन 1850 किसानों से पॉवर प्लांट के लिए जमीन को कब्जे में लिया गया है. ज़मीन को अधिग्रहित करने का काम चार साल पहले ही सरकार के द्वारा किया जा चुका है जबकि मुआवज़े की रकम अभी कुछ ही लोगों को दी गयी है. पिछले चार सालों से यहाँ के अधिकाँश किसानों को न तो कोई मुवाज़ा मिला है और ज़मीन से बेदखल किये जाने के चलते ये अपने खेत में खेती भी नहीं कर पा रहे हैं. सरकार की इस करवाई ने इन किसानों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है. इस परियोजना की शुरुआत यूपीए 2 के कार्यकाल में हुई थी जब श्री प्रकाश जायसवाल कोयला मंत्री थे. उस समय ही किसानों से सरकार ने ये वायदा किया था की चार गुना मुआवजा दिया जाएगा. उसके बाद केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी और पॉवर प्लांट के कार्यक्रम को केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से आगे बढ़ाने का काम जारी रहा. लेकिन किसानों के सवाल आज भी जस के तस बने हुए हैं.

कासिमपुर लहुरीमऊ के किसान नेता अशरफ उर्फ़ दद्दू ने जांच दल को बताया कि कुल 1850 किसानों से पॉवर प्लांट के लिए ज़मीन ली गयी हैं यहाँ के किसान शुरू से यह कह रहे हैं कि उन्हें मुआवज़े के रूप में चार गुना रकम दी जाए, यह चार गुने से हमारा तात्पर्य सर्किल रेट और बाज़ार रेट में जो ज्यादा हो वह मुआवजा किसानों को दिया जाए. सर्किल रेट इस समय 18 लाख रूपए प्रति हैक्टयेर है. उस समय जो समझौता हुआ था, वह 4 लाख 30 हज़ार रूपए प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा. और अगर इस बीच ज़मीन की कीमत बढती है तो बढ़ी हुई कीमत के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा. 9 दिसम्बर 2013 को केवल कुछ किसानों (पांच किसानों को) को इस दर से मुआवज़े की रकम अदा की गयी थी. अशरफ उर्फ़ दद्दू आगे कहते हैं कि ये मुआवजा इसलिए दिया गया था क्योकि 2014 में जमीनों का रेट बढ़ना था. इसलिए कम्पनी ने जान बूझ कर कुछ लोगों को मुआवजा दे दिया था. जिसको आधार बनाकरपर आगे भी इसी दर से कंपनी के द्वारा भुगतान करने में कोई बाधा न खड़ी हो. शुरू में हमसे कहा गया था कि जब पॉवर प्लांट का काम शुरू होगा तो यहाँ के मजदूरों को ही काम पर रखा जाएगा लेकिन इन चार सालों में यहाँ के एक भी मजदूर को काम नहीं मिला है. इन लोगों ने ग्राम सभा की ज़मीन को भी नहीं बक्शा है. हमारे गाँव में लगभग 300 बीघा जमीन ग्राम सभा की है, उस पर भी जबरन कब्ज़ा कर लिया गया है. उसके लिए आज तक कोई नोटिस भी नहीं आया है.

जांच दल को भारतीय किसान यूनियन, हमीरपुर महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष विशेखा राजपूत ने बताया कि हमीरपुर में मुख्यमंत्री जी 15 दिसम्बर 2016 को आये थे. उनको हम ज्ञापन देने गए थे. दरअसल उससे दो दिन पहले ही सपा के पूर्व सांसद राकेश सचान यहाँ गाँव में आये थे और उन्होंने ही कहा था कि मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे दो और हमें देखना है कि आप लोगों के साथ कितने किसान हैं. हम लोग अपनी भीड़ के साथ ही गए थे. वहां जाने से पहले हमें रोका गया लेकिन हम नहीं रुके आखिर हम अपनी समस्या किसे सुनायेंगे. जब हम वहां पहुचे तो एडीएम साहब ने कहा कि सिर्फ पांच लोग आईये. पांच की जगह हम सिर्फ चार ही लोग गए. हम चार लोगों को वे ले तो गए लेकिन हम लोगों को मंच के पीछे छुपा दिया और हमारे साथ जो किसान जनता थी, उन्हें लगा की पुलिस ने हमें पकड़ लिया है. लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इन लोगों का जो भी मुखिया है उसको बुलाकर ज्ञापन ले लें. इस बीच वहां पर मौजूद सपा के लोगों ने अपनी टोपियाँ उतारकर जो किसान सभा में थे उनपर कुर्सियां फेंकना चालू कर दिया. जब उन लोगों ने कुर्सियां फेंकना चालू कर दिया. यह सब कुछ मुख्यमंत्री जी के सामने हो रहा था. मुख्यमंत्री जी जैसे ही मंच पर चढ़े वैसे ही ये

कार्यक्रम चालू हो गया था. विशेखा राजपूत आगे बताती हैं कि पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारा ज्ञापन भी नहीं लिया गया.

जब मुख्यमंत्री जी जाने लगे और जैसे ही गाड़ी का गेट बंद किया, मैं वहां पहुँची और मैंने अपना हाथ दिखाया और ज्ञापन दिखाया तो उन्होंने गाड़ी का गेट खोला और ज्ञापन भी लिया और हमसे जाते-जाते कहा की आप लोग हमारा कार्यक्रम बिगाड़ने के लिए आये थे. मैंने कहा की नहीं सर कार्यक्रम बिगाड़ने के लिए नहीं आये थे हम तो अपना ज्ञापन देने आये थे. हम अपनी समस्या आप से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे. वो बोले हम देख लेंगे.

विशेखा राजपूत कहती हैं कि यहाँ पर किसान पिछले चार साल से मर रहा है और सरकार उनकी समस्या हल नहीं कर रही है ऊपर से मुख्यमंत्री जी मंच से बोल रहे थे की ये मुट्ठी भर किसान हैं मैं इन्हें बंद करवा दूंगा. तब तुम लोगों के अच्छे दिन आयेंगे. बुआ जी ने तो तुम्हारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उन्हें बंद कराया था मैं तो मुक़दमे वापस ले रहा हूँ और मैं चाहूं तो अभी तुमको अरेस्ट करवा दूंगा. तुम मुट्ठी भर हो.

इस घटना के तुरंत बाद 15 दिसम्बर 2016 को ही हमारे ऊपर हमीरपुर और सजेती थाने में गुंडा एक्ट के तहत मुक़दमे दर्ज हो गए. पुलिस ने हम किसानों को गुंडा बना दिया.

स्थानीय किसानों ने जांच दल को बताया कि 18 दिसम्बर को शाम 4 बजे के आस-पास लहुरीमऊ गाँव में कई थानों की पुलिस आ गयी. उस धर्मशाले का घेराव कर लिया जहाँ हमारा धरना चल रहा है. पुलिस वाले कम से कम 15 से 20 गाड़ियों में रहे होंगे. हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे हुए थे और हमारा धरना चल रहा था कि एकाएक पुलिस आ गयी. और आते ही लाठी चार्ज शुरू कर दिया. माइक को तोड़ दिया जो कोई भी मिला उसको मारना शुरू कर दिया. महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया. पुलिस वालों ने कोई भी बात-चीत नहीं की बस आते ही लाठी चलाना शुरू कर दिया. लगभग 13 थानों की पुलिस थी. घाटमपुर के सीओ व मौदहा थाने के सीओ भी थे. जैसे ही पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू किया यहाँ की जनता ने भी उसका प्रतिकार किया. इतनी देर में यहाँ पर भगदड़ मच गयी. क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर ठीक-ठाक संख्या में थे, इसलिए पुलिस वाले वहां से देख लेने की धमकी देते हुए चले गए. हम लोगों ने अपनी तरफ के लोगों को शांत कराया और पुलिस वालों को तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहा.

इस घटना के बाद फिर से हम लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ. जिसमें कई लोगों पर नामजद और 400 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है. ये पूरा इलाका लगातार सूखे की चपेट में रहता है इसलिए इसे भी डार्क जोन के अंतर्गत रखा गया है. इसलिए यहाँ पर ट्यूबबैल लगाने को प्रतिबंधित किया गया है. यहाँ पर कुछ लोगों के खेतों में बाँध और सुधौल के बीच में बालू निकली है. यहाँ से रोजाना पचासों ट्रक बालू अवैध तरीके से जाती है. यहाँ के थानों में उनका कमीशन बंधा हुआ है. एक ट्रक पर बीस हज़ार का दाम थाने से बंधा हुआ है. किसान आक्रोश के साथ कहते हैं कि 'अब बालू के अवैध खनन से वाटर लेवल नीचे नहीं गिर रहा है क्या' लेकिन जैसे ही कोई किसान अगर ट्यूबबैल खुदवाता है तुरंत उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, क्योंकि इसे डार्क जोन घोषित कर दिया गया है. यहाँ के किसानों को न तो समय पर पानी मिलता है, न ही नहर की कोई सुविधा है. ट्यूबबैल, खाद का संकट अलग से बना ही रहता है. ऊपर से ओलावृष्टि, सूखा, आंधी, पानी व प्राकृतिक आपदाओं से किसान बेहद परेशान रहते हैं बिजली की भी स्थित बहुत ख़राब है. यहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं हैं, इसलिए रोज़गार का भी संकट है. इसी के चलते बड़े पैमाने पर यहाँ से विस्थापन होता है.

पॉवर प्लांट के निर्माण के लिए सारे मजदूरों को बाहर से लाया जा रहा है, इन आठों गाँव में से एक भी मजदूर को काम के लिए नहीं लिया गया, यहाँ के लोगों की समस्या तो जस की तस बनी हुई है. कहा जा रहा है कि गाँव के लोगों को कौशल विकास योजना के तहत नौकरी दी जायेगी, लेकिन आज तक इन आठों गाँव के किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी गयी है.

जबसे यहाँ पर पॉवर प्लांट का काम शुरू हुआ है. यहाँ पर 4-5 ट्रक पीएसी पड़ी हुई है. बीच में यही पीएसी वाले रात के दस-ग्यारह बजे दारू पीकर गाँव में घुमते थे. महिलाओं और लड़कियों को घूर-घूर कर देखते थे. यहाँ पर सजेती थाने की एक चौकी भी बन गयी है और वही लोग अब यहाँ पर गुंडागर्दी भी करते हैं. गाँव के किसानों ने हमें बताया कि स्थानीय सपा विधायक

घाटमपुर से इन्द्रजीत कोरी हैं और भाजपा सांसद अकबरपुर से देवेन्द्र सिंह भोले हैं लेकिन दोनों आज तक यहाँ झाँकने नहीं आये. चार साल से हम लोग भूखों मर रहे हैं लेकिन हमारे सांसद जी का हमने आज तक चेहरा भी नहीं देखा है.

हमारे ये पूछने पर कि चुनाव बिलकुल नज़दीक हैं इस बार आप लोग किस पार्टी को समर्थन देंगे? किसानों की नेता हमीरपुर महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष विशेखा राजपूत ने बताया कि इन आठों गाँव की आबादी लगभग 40 हज़ार के आस-पास है और लगभग 15000 के आस -पास यहाँ वोटर हैं. लेकिन इस बार हम गाँव वालों ने चुनाव बहिष्कार की योजना बनाई है. यहाँ के लोगों ने यह तय किया है कि यहाँ पर किसी भी पार्टी का बूथ नहीं लगने देंगे, गाँव के हर घर में काले झंडे टंग चुके हैं. किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों को हम आठों गाँव में नहीं घुसने देंगे. कोई भी पार्टी आ जाए, हमारा सपोर्ट कर दे, हमें मुआवजा दिला दे हम उसका सपोर्ट कर देंगे.

जांच दल के सामने किसानों ने ये साफ कहा कि अगर उन्हें उचित मुआवजा मिले तो हम अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार हैं. हमें उचित पैसा मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो हम अपनी ज़मीन छोड़ देंगे. कुछ किसानों का ये भी कहना है कि जब हमारे पास पैसा होगा तो हम दूसरी जगह भी ज़मीन ले सकते हैं और उसमें खेती कर सकते हैं.

जांच दल को किसानों ने ये बताया कि जबसे उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना शुरू किया है उसी दिन से प्रशासन की तरफ से हमारे सामने मुश्किलें पैदा की जा रही हैं. पहले 15 दिसम्बर को मुकदमा दर्ज हुआ फिर 18 दिसम्बर को दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ. हाल ही में मीडिया में आयीं ख़बरों से यह मालूम पड़ा कि इन गाँव के आठ लोग इलाहाबाद में किसान यूनियन के एक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए गए थे. 18 जनवरी की शाम को जब ये लोग वहां से लौट रहे थे तभी मूरतगंज के पास पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया. रात में ही पुलिस इन्हें कानपुर ले आई और पूरी रात इन्हें एसपी के ऑफिस में ही रखा गया. इस घटना को लेकर जब जांच दल ने रूपेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि पूरी रात और अगले दिन हमें एसपी ऑफिस में ही रखा गया, जहाँ से रात के दस बजे हमें छोड़ा गया. हम सभी लोगों को सजेती एसओ ने जूतों से भी मारा. हमारे नेता निरंजन सिंह राजपूत और विशेखा सिंह को अगले ही दिन पुलिस यहाँ से ले गयी और उन्हें माती कोर्ट में पेश किया और उसके बाद उन्हें माती अकबरपुर जेल में डाल दिया गया है. पुलिस ने हमें धरना समाप्त करने की शर्त पर छोड़ा है. फिलहाल हम लोगों ने धरना समाप्त कर दिया है और धरना स्थल पर ताला लगा दिया गया है. हम लोग कोशिश करेंगे की समस्या का हल बात-चीत से निकला जाए.

मांगे-

- जांच दल सरकार से यह मांग करता है कि किसान नेता निरंजन सिंह राजपूत व विशेखा राजपूत को अविलम्ब रिहा किया जाए व गाँव के तमाम किसानों पर जो फर्जी मुकदमें लगाये गए हैं उन्हें तत्काल वापस लिया जाए.
- अधिग्रहण की गयी ज़मीन का पूर्व सर्किल रेट से जिन किसानों ने मुआवजा ले लिया है और जो किसान अभी बाकी हैं उन सभी किसानों को नए सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा दिया जाए.
- जिन किसानों की ज़मीन पॉवर प्लांट में गयी है, उन किसानों के परिवार के एक सदस्य को योग्यतानुसार नौकरी और बाकि सदस्यों को 5-5 लाख रूपए का मुआवजा दिया जाए.
- भूमिहीन व मजदूर किसानों को पुनर्वास के तहत मुआवजा और योग्यतानुसार नौकरी दी जाए.
- जिन किसानों के बोरवेल, तार ट्रांसफार्मर, खम्भे व जिन किसानों की फसल नष्ट की गयी है उनको मुआवजा दिया जाए.
- सन 2011 से जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण कर ली गयी थी और जिन्होंने पैसा नहीं लिया है, उन किसानों को सन 2011 से आज तक का फसल का मुआवजा दिया जाए.
- आठ गावों के किसानों की जमीन के अलावा ग्राम सभा की भूमि का मुआवजा ग्राम सभा को दिया जाए या भूमिहीन किसानों या मजदूरों को इसके पट्टे दिए जाएं.

गुजरात

नर्मदा नहर का पानी उद्योगों को और किसानों को पानी की मांग के बदले लाठी

14 फरवरी 2017 को गुजरात के वीरामगाम, बावला व सनन्द, आदि 32 गावों के करीब 5000 किसानों द्वारा अपनी नर्मदा नहर के पानी को उद्योगों को दिए जाने के विरोध में गांधीनगर से निकाले जा रहे मार्च पर पुलिस बल ने बर्बर लाठीचार्ज किया। रैली में शामिल महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। गुजरात के विकास मॉडल का दावा भरने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना पर ठीक उसी प्रकार चुप्पी बनाए बैठे हैं जैसे वह देश भर के तमाम शोषण उत्पीड़न की घटनाओं पर लगाए बैठे रहते हैं। हम यहां पर आपके साथ इस घटना पर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा की केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति साझा कर रहे हैं।

अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा की केन्द्रीय कार्यकारिणी ने गुजरात के सनन्द क्षेत्र में विरोध कर रहे हजारों किसानों पर किए गए लाठीचार्ज और आंसूगैस हमले की कड़ी निन्दा करते हुए कहा है कि किसान अपनी नर्मदा नहर के पानी को उद्योगों के लिए हस्तांतरित करने का विरोध कर रहे थे और इसके लिए गांधीनगर तक रैली निकाल रहे थे। गुजरात के इस क्षेत्र के गावों में सिंचाई व पेयजल की भयंकर समस्या है, फसलें सूखी हुई हैं और गुजरात सरकार ने गांव के लिए बनाई गई सनन्द नहर का पानी बड़े कारपोरेटों को दे दिया है।

जहां श्री मोदी इस सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं वहीं उनकी पार्टी और सरकार न केवल किसानों के पानी को उनसे छीन रही है बल्कि शांतिपूर्वक विरोध करने के अधिकार को भी छीन रही है।

14 फरवरी को वीरामगाम, बावला व सनन्द, आदि 32 गावों के करीब 5000 किसानों ने ट्रैक्टरों से गांधीनगर की ओर एक मार्च निकालना शुरु किया। डीएसपी आरवी अंसारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने उन्हें नल सरोवर पर रोका और महिलाओं, बच्चों समेत उन सब पर बर्बर लाठीचार्ज कर दिया। जब उन्होंने पत्थर चलाने शुरु किए तो आंसू गैस दागकर उन्हें बिखेर दिया। घायल किसानों का 16 सिविल अस्पतालों में इलाज कराया जा रहा है। परन्तु डीएसपी आर वी अंसारी का कहना है कि इस घटना में केवल 7 पुलिसकर्मी घायल हुए और किसी नागरिक को कोई चोट नहीं आई। उन्होंने करीब 20 किसानों को विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया है।

नर्मदा नहर का निर्माण गांव की सिंचाई व पेयजल के लिए किया गया था पर किसानों को वंचित करके अब इसका पानी इलाके में स्थापित बड़े उद्योगों को दिया जा रहा है।

यह विवाद दिखाता है कि गुजरात व केन्द्र दोनों सरकारें कारपोरेट पक्षधर व किसान विरोधी नीतियां लागू कर रही हैं। यह नीति है जनता के संसाधनों को उनकी जमीन व पानी समेत उनसे छीनकर बड़े कारपोरेटों को भारी मुनाफा कमाने के लिए सौंपा जाए।

अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने इस सवाल पर अखिल भारतीय विरोध संगठित करने की अपील की है। एआईकेएमएस ने मांग की है कि घटना में शामिल पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए और पूरी घटना की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए।

मध्य प्रदेश

ये प्यास कब बुझेगी : नर्मदा का हर रोज 18 लाख लीटर पानी निगलेगा कोका कोला !

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की बाबई तहसील में भाजपा सरकार ने कोका कोला कम्पनी को नर्मदा नदी से सिंचित 110 एकड़ जमीन दे दी है। नर्मदा नदी से हर दिन 18 लाख लीटर पानी कोका कोला को दिया जायेगा। आखिर सरकार कोका-कोला पर इतनी मेहरबान क्यों हैं ? कई साल पहले भोपाल के पास पीलूखेड़ी में भी कोका-कोला का प्लांट लगा था वहां आज पार्वती नदी सूख चुकी है। किसान परेशान और खेती बर्बाद हो रही है। पेश है अक्षय हुँका की रिपोर्ट;

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की बाबई तहसील में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार मुहासा औद्योगिक क्षेत्र बना रही है, जिसमें 110 एकड़ जमीन कोका कोला कम्पनी को सरकार द्वारा दे दी गई है। कोका कोला कम्पनी यहाँ नर्मदा से लाखों लीटर पानी प्रतिदिन निकालेगी और कोल्डड्रिंक बनायेगी। जिससे न सिर्फ नर्मदा में पानी की कमी आएगी बल्कि फैक्ट्री का अनुपयोगी पानी, कचरा व अन्य रासायनिक पदार्थ वापस नर्मदा में जाने से नर्मदा प्रदूषित होगी। इन कारणों से अविरल नर्मदा औऱ निर्मल नर्मदा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और साथ ही जल औऱ भूमि दोनों बर्बाद होगी तथा किसानी पर भयंकर संकट आएगा। कोका कोला ने अपनी औद्योगिक इकाइयां जहाँ जहाँ भी स्थापित की वहाँ भयंकर संकट आया जिससे वहां की जनता ने विरोध किया औऱ अंततः कोका कोला को अपनी कई इकाइयां बंद तक करनी पड़ी।

इसी तारतम्य में प्रदेश के जागरुक नागरिकों अक्षय हुंका, विक्रांत राय, लक्ष्मी नारायण सोनी, मुकेश तिवारी, कुलभूषण पारासर, संजय मिश्रा आदि ने बीड़ा उठाया है कि कुछ भी हो जाये कोका कोला की फैक्ट्री यहाँ नहीं लगने देंगे औऱ ना ही यहाँ प्रदूषण होने देंगे।

इस आंदोलन की शुरुआत 16 फ़रवरी 2017 को बन्द्रमान गाँव से की गयी, और बन्द्रमान, सांगाखेडा, आरी औऱ मुहसा गाँव में जन संपर्क किया और लोगों को कोका कोला फैक्ट्री के दुष्परिणामों से अवगत कराया। अभी आस पास के गांवों में तीन दिन जन अभियान चलाया जायेगा। इस कार्यक्रम में जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है।

अक्षय हुंका ने संकल्प लेते हुए कहा कि किसी भी हालत में माँ नर्मदा के अमृत को जहर नहीं बनने देंगे। नर्मदा मैया हम सब की आस्था की केंद्र औऱ जीवन दायनी हैं, और इसे किसी भी कीमत पर प्रदूषित नहीं होने देंगे और खेती बर्बाद नहीं होने देंगे।

क्या होगी बर्बादी ?

1. पानी आधारित इन्डस्ट्री लगाने से और मॉ नर्मदा से बेतहाशा पानी ऐसी विदेशी कम्पनी को देने से बाबई क्षेत्र में पानी की कमी हो जायेगी, जिससे वहॉ खेती बर्बाद हो जायेगी।
2. 1 लीटर कोका कोला बनाने के लिए लगभग 4 लीटर पानी लगता है। बाकी 3 लीटर पानी रसायनो के साथ मिलकर जमीन में जाएगा जिससे वहां का पानी और जमीन दोनों खराब होगी।
3. फैक्ट्री का कचरा नर्मदा नदी को प्रदूषित करेगा।
4. रोज 18 लाख लीटर पानी कोका कोला को दिया जाएगा। आधा मध्य प्रदेश प्यासा है, सरकार वहां पानी पहुंचाने की जगह एक विदेशी कंपनी को इतना पानी दे रही है, ऐसा क्यों?

क्या है रोजगार का सच ?

सरकार सिर्फ एक बात कह रही है, कि फैक्ट्री यहॉ लगने से रोजगार मिलेगा। ऐसे वादे सरकार हमेशा करती है, पर सच्चाई कोसों दूर है। मण्डीदीप, मालनपुर औंर पीथमपुर जैसे कई उदाहरण है जहां कहा तो गया कि लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा पर ऐसा कुछ नहीं। और यहां तो सभी किसानी करते है सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाये न।

चुटका परमाणु पॉवर प्लांट के खिलाफ शुरू हुआ सदबुद्धि सत्याग्रह

मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका गाँव में प्रस्तावित चुटका परमाणु संयंत्र के विरोध में स्थानीय आदिवासी 13 फरवरी, 2017 से सदबुद्धि सत्याग्रह पर बैठे है।

"जब हुकूमतें पागल हो जाती हैं तो उन्हें होशोहवास में लाने के लिए मिलजुलकर जतन करने पड़ते हैं । उदारवाद की झक्क में देश की सरकारें पगला चुकी हैं। मुनाफे की हवस और कारपोरेट पूंजी की सेवा में इतनी बदहवास हैं कि जनता, देश और प्रकृति सबको दांव पर लगाने से नहीं चूक रही हैं। मगर वे भूल जाती हैं कि अंततः यह जनता है जो सब कुछ तय करती है। " यह बात 13 फरवरी को जबलपुर से 75 किलोमीटर दूर मंडला जिले में नर्मदा किनारे बसे एक छोटे से गाँव चुटका में इकट्ठा हुए जनांदोलनों और वामपंथी आन्दोलनों के वरिष्ठ नेताओं ने की। वे स्थानीय जनता के भारी विरोध, ग्राम सभाओं के स्पष्ट इनकार और नर्मदा के समूचे पानी के जहरीले हो जाने की विशेषज्ञ रिपोर्ट के बावजूद परमाणु बिजली संयंत्र लगाए जाने का विरोध करने लिए सरकार की सदबुद्दि के लिए सत्याग्रह की उदघाटन सभा में बोल रहे थे। विगत 10 वर्षों से इस परमाणु संयंत्र के खिलाफ लड़ाई जारी हैं।

नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा एनएपीएम की मेधा पाटकर तथा सीपीआई(एम) के राज्य सचिव बादल सरोज ने इस सभा में साफ़ किया कि चुटका की लड़ाई सिर्फ इस घाटी में बसे आदिवासियों और ग्रामीणों की लड़ाई नहीं है। यह जल जंगल जमीन और जिंदगी के लिए जूझ रहे भारतीयों की लड़ाई है। उन्होंने इससे जुड़े मसलों तथा सरकार की विनाशकारी नीतियों के साथ उनके रिश्ते को भी उजागर किया।

आंदोलन के नेता तथा बरगी विस्थापितों के संघर्ष के समन्वयक राजकुमार सिन्हा के अनुसार इस सद्बुध्दि सत्याग्रह की मुख्य मांगों में-

- चुटका परमाणु बिजली परियोजना को रद्द किये जाने।
- बरगी विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी सभी लम्बित मामलों का तत्काल निराकरण किये जाने ।
- वनाधिकार क़ानून के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार देने की कार्यवाही को आगे बढ़ाने ।
- मछुआरों के हित में बरगी जलाशय में ठेकेदारी खत्म कर मत्स्याखेट एवम् विपणन का पूर्ण अधिकार बरगी मत्स्य संघ को दिए जाने की मांगे शामिल हैं।

चुटका परमाणु विरोधी संघर्ष समिति के अध्यक्ष दादूलाल जी की अध्यक्षता तथा युवा वामपंथी नेता सत्यम सत्येंद्र पांडेय के संचालन में हुयी इस सभा को किसान सभा के राज्य महा सचिव रामनारायण कुररिया, समाजवादी नेता गोपाल राठी, सीपीआई नेता अजय यादव, जगदीश यादव, मायाराम इत्यादि ने भी संबोधित किया।

आर्यन पावर प्लांट के लिए किये गए फ़र्जी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसान एकजुट

मध्य प्रदेश; मेसर्स आर्यन पॉवर जनरेशन कंपनी हेतु मूसामूड़ी एवं भुमका के क़िसनो की अधिग्रहित की गई भूमि नए कानून के प्रावधानों के अनुसार अपनी जमीन वापस पाने के लिए किसानों द्वारा 24 फरवरी 2017 से टोंको-रोंको-ठोंको क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले ग्राम मूसामूड़ी में क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है। मूसामूड़ी में किसानों द्वारा किए जा रहे अनशन का मध्य प्रदेश की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूर्णतया समर्थन करती है और आंदोलनकारी किसानों के साथ एकजुटता का वादा करती है। पत्र में आगे कामरेड बादल सरोज ने कहा है कि पार्टी इस मुद्दे को प्रदेश भर में जारी अपने विस्थापन विरोधी आंदोलन के साथ जोड़कर भी उठाएगी तथा विभिन्न मंचो पर इसके समर्थन में एकजुटता जुटाएगी।

नर्मदा घाटी के विस्थापितों ने फिर शुरू किया सत्याग्रह

सरदार सरोवर विस्थापितों के पुनर्वास के मुद्दों पर सर्वोच्च अदालत ने 08.02.2017 के रोज दिये आदेश के बाद भी हजारो विस्थापितों ने तय किया और बड़वानी में 5 मार्च 2017 से अपना डेरा डाल दिया।

आज भी बड़वानी, धार, खरगोन और अलिराजपुर भी मिलकर 244 गांव और एक नगर, धरमपुरी भी डूब में होते हुए, सभी पुनर्वास के अधिकारों को हासिल किये बिना अपनी जमीन, जीविका, नर्मदा भी छोड़कर भागने वाले नहीं है, यह संकल्प व्यक्त करने के लिए सत्याग्रह शुरू हुआ है। म0प्र0 के डूब क्षेत्र में बसे 2.5 लाख लोगो की न्याय दिलाने का यह संकल्प है।

सर्वोच्च अदालत के भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री खेहार, न्या. चंद्रचूड और न्याय. रमण्णा की खंडपीठ ने मध्यप्रदेश शासन का दावा कि "सबका पुनर्वास हो चुका है और अब कुछ बाकी नही" और "नर्मदा बचाओ आंदोलन" की याचिका खारिज करनी होगी' ये नकारे जाकर 5.5 लाख के बदले, 2 हेक्टर जमीन का हक रखने वाले हर किसान को 60 लाख रू का और जमीन के बदले नगद राशि के अनुदान से मात्र 50 प्रतिशत राशि लेकर जमीन का आग्रह रखने वाले परिवार को भी 60 लाख रू का लाभ देना मंजूर किया है। फर्जी रजिस्ट्री में फंसे विस्थापितो को भी म0प्र0 शासन, अधिकारियों को बचाकर जेलो में भेज रही थी, उसे रोककर 15 लाख रू देने का आदेश दिया। गुजरात शासन को इस कारण सैकड़ो करोड़ रू देना होगा, आज तो म0प्र0 शासन ने जिन्हें लाभ मिलेगा, उनकी संख्या और सूची भी जाहीर नहीं की है। उन्होने आज तक की अपारदर्शी प्रक्रिया और पद्वती छोड़कर यह सूची जाहीर करना जरूरी है।

पुनर्वास स्थलों पर सुविधाऐं तैयार नहीं है। कही काली कपास की मिटटी में घर बांधना असंभव है, कही बड़े गढढे और असमतल भूमी है तो बहुत से स्थलों पर पीने का पानी तक पर्याप्त नही है, तो मकान निर्माण के लिए कहां?

दलालों और बड़ी कमाई करने वाले, फसानेवाले कुछ वकीलो ने अधिकारियों से गठजोड़ करके अपनी चांदी कमाने, गंरीब आदिवासी, किसान, मजदूर, मछुआरों तक को लूटा। सरकार ने उन्हीं को अपराधी बनाया। लेकिन आंदोलन ने संवैधानिक अधिकार और कानून के आधार भी लेकर हर विस्थापित को जमीन, जीविका, आवास और सुविधाऐ मिलने, बेहतर जिंदगी पाने तक लड़ने का संकल्प आज लेकर मशाले जलायी है।

"31 जुलाई तक जबरन गांव खाली नहीं करेगी सरकार तो अधिकार देने का कर्तव्य पालन पहले करेगी, या नही, यह परीक्षा नर्मदा घाटी में होने वाली है" यह बात सनोबर मंसूरी ने कहां। श्यामा बहन मछुआरा और पेमल बहन मजदूर परिवारों की तरफ से मंच से पुकारती रही कि किसानों के बाद मछुआरों को भी वैकल्पिक जीविका का अधिकार देना ही होगा।

रणवीर भाई तोमर ने चुनौती दी कि गांव गांव के घर, मंदिर, शाला, पेड़ो तक बसाने की जिम्मेदारी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और मध्यप्रदेश शासन पूरी करके दिखाए। मेधा पाटकर ने कहां कि आज तक देश में और नर्मदा घाटी में भी अन्य बांधों से उजाड़े गये सभी लोगो को सरकार ने बेरोजगार किया। सरदार सरोवर एकमात्र बांध है, जिसमें 14 हजार परिवारेां को गुजरात या महाराष्ट्र में जमीन मिली है, लेकिन म0प्र0 शासन ने विस्थापितों को केवल भ्रष्टाचारियेां के हवाले छोड दिया। नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान भी विस्थापितों की समस्या पर कोई बात न करते हुये नर्मदा बचाने की, अवैध रेत खनन रोकने की, नर्मदा किनारे शराबबंदी की हवाई बात केवल की। नर्मदा और घाटी के जीवन को अपने संघर्ष के द्वारा बता सकते हैं।

चिन्मय मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार, इन्दौर ने कहां कि सर्वोच्च अदालत के फैसले से जबकि साबित हुआ है कि म0प्र0 शासन के आज तक के आकड़े (0 बैलेन्स के) झूठे थे, तब झूठे शपथ पत्रों के लिए दोषी अधिकारियों को सजा दिलानी चाहिए। उन्होंने म0प्र0 शासनकर्ताओं को जो नर्मदा सेवा यात्रा द्वारा घूमकर लौटे है, उन्हें ऐलान किया कि सही नियत और संवेदना हो तो शिवराजसिंह बड़वानी में मंत्रिपरिषद बुलाकर संपूर्ण पुनर्वास की दिशा मंे फैसले/निर्णय करके और अमल करवा के दिखाये।

19 साल अदालत के चक्कर काटने के बाद मिला मुलताई के किसानों को न्याय

मध्य प्रदेश के मुलताई में 1998 पर किसानों पर पुलिस गोली चालन से जुड़े 6 प्रकरणों में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय मोहन तिवारी जी ने शासन द्वारा की गई अपीलें खारिज कर दी हैं। इस फैसले के बाद किसान संघर्ष समिति के डॉ. सुनीलम समेत 50 किसानों का 19 साल से मुलताई अदालत का इन प्रकरणो में चक्कर लगाना अब खत्म हुआ। शासन द्वारा 67 फर्जी प्रकरण 12 जनवरी 1998 के पुलिस गोली चालन में 24 किसानो के शहीद होने व 150 किसानों के पुलिस गोलीचालन में घायल होने के बाद दर्ज किये गए थे। 12 जनवरी को शहीद किसानो की 19वीं बरसी है। देखना है कि शासन उच्च न्यायालय जाता है कि नहीं। अधिवक्ता आराधना भार्गव जी ने किसानों की निःशुल्क पैरवी की है।

प. बंगाल

भानगढ़ में 40000 किसान कृषि भूमि पर जबरन पावर ग्रिड लगाए जाने के विरुद्ध एकजुट

11 जनवरी 201 7; पश्चिम बंगाल के भानगढ़ में बिना स्थानीय ग्रामीणों के एक चार सौ किलोवॉट के पावर ग्रिड का निर्माण किया जा रहा है। इस पावर ग्रिड के लिए 2014 में किसानों से सत्ताधीन टीएमसी पार्टी के गुंडों द्वारा जबरन और कई जगहों पर बंदूक की नोक पर करीब 80 बीघा कृषि योग्य भूमि अधिग्रहित की गई थी। इस अधिग्रहण के बदले में किसानों को बाजार के रेट के मुकाबले बहुत ही कम मुआवजा दिया गया था। इस अधिग्रहण की प्रक्रिया में स्थानीय पुलिस ने गुण्डों की पूरी सहायता की।

ऐसी उपजाऊ भूमि में इतनी उच्च वोल्टेज वाला पावर ग्रिड न सिर्फ उनकी आजीविका को नष्ट करेगा बल्कि ऐसी सघन आबादी वाले क्षेत्र में जल स्रोतों को भी नष्ट कर देगा।

कुछ हफ्तों से राज्य सरकार द्वारा लागू धारा 144 को तोड़ते हुए खुले में आ गए। टीएमसी सरकार ने पूरे भानगढ़ क्षेत्र की बिजली काट दी है जिससे की विरोध की खबरें मीडिया के जरिए बाहर न जा पाएं। प्रदर्शनकारियों पर रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के बटालियनों द्वारा बंदूकों, आंसू गैस के गोलों और पानी के कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भानगढ़ क्षेत्र के ग्रामीणों में पिछले कुछ महीनों से अंसोतष उबल रहा था जो अब एक लड़ाकू संघर्ष के रूप में फूट पड़ा है। इस आंदोलन का नेतृत्व विभिन्न वामपंथी तथा जनवादी संगठनों, छात्रों, मानवाधिकार समूहों के सहयोग से बने जमीन, आजीविका तथा पर्यावरण रक्षा समिति के बैनर तले स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जिसमें ज्यादातर गरीब किसान हैं द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मुख्यधारा की संसदीय पार्टियों को अपने चुनावी फायदे के लिए आंदोलन में घुसने भी नहीं दिया है।

नई दिल्ली

वनाधिकार कानून की 10वीं वर्षगांठ पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशाल जन रैली, 15 दिसंबर 2016

नवउदारवाद के दौर में पूरा सरकारी तंत्र व उसके सहयोगी जमींदार, भू-माफिया व अन्य निहित स्वार्थ भी पूंजीवाद के अधीन हैं, जो कि पूंजीवाद का वर्गीय चरित्र भी है। इसलिए चाहे वो केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों वह इस तरह के प्रगतिशील जनहितकारी कानून को लागू करने में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं दिखाऐंगी, चाहे उसके पीछे संवैधानिक बाध्यता ही क्यों न हो। चूंकि यह भ्रष्ट सरकारें इन सभी ताकतों को असंतुलित करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि यह सरकारें इन निहित स्वार्थो के ऊपर ही अपने अस्तित्व के लिए निर्भरशील हैं। इन सब परिस्थितयों में वनाधिकारों के मुद्दे को हमें व्यापक संदर्भ में भूमि अधिकार, मछुआरों के अधिकार, खनन अधिकारों के साथ व अन्य आंदोलनों जैसे श्रमिक संगठनों के आदोंलनों के साथ जोड़कर देखना होगा व तालमेल से संघर्षों को लड़ना होगा, ताकि हमारे संघर्षो को सफलता मिल सके। आज के दौर में किसी भी आंदोलन के लिए अकेले सफलता हासिल कर पाना बेहद कठिन है। राजनैतिक रूप से व्यापक गोलबंदी से ही राजसत्ता को टक्कर दी जा सकती है। यह राजनैतिक सबक हमें आज के दौर में लेना होगा, जिसमें अन्य मुद्दों जैसे साम्प्रदयिकता, जातिवादी उन्माद जो देश में फैलाया जा रहा है, उसे भी अपने संघर्षो में जोड़ना होगा।

हमने देखा है कि वनाधिकार कानून 2006 को पारित हुए दस साल पूरे होने जा रहे हैं और ये स्पष्ट हो गया है कि वनाधिकार कानून लागू करना एक राजनैतिक संघर्ष है, चूंकि ये व्यापक रूप से भूमि अधिकार आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें करीब 4 करोड़ हैक्टेअर वनभूमि का आबंटन वनसमुदायों के लिये सामूहिक रूप से होना निर्धारित है। इसीलिये वनाधिकार आंदोलन में भूमि का सवाल अंतर्निहित है। वनाधिकार के मुद्दे में भूमि अधिकार की मान्यता ही मूल विवाद की जड़ है, जिसमें कई तरह के निहित स्वार्थ शामिल हैं। जैसे वनविभाग, सामंत वर्ग, दबंग, पूंजीपति वर्ग, प्रशासन व सरकार जो इन संसाधनों को किसी भी कीमत पर गरीब तबकों के अधीन होने न देने के लिए दमन का सहारा लेते हैं। इसलिए भी यह एक कठिन लड़ाई है। इसलिए वनाधिकार आंदोलनों के लिए भी यह चुनौती है कि वह खुलकर सामने आए व राजनैतिक रूप से इस लड़ाई को लड़े।

गौरतलब है कि मौजूदा केन्द्र की एन0डी0ए सरकार द्वारा असंवैधानिक तरीके से भूमि अध्यादेश को पारित कराने की कोशिश का विरोध देशभर के जनसंगठनों, किसान संगठनों व वाम दलों से जुड़े किसान संगठनों ने फरवरी 2015 में संसद सत्र के दौरान किया व भूमि अधिकार की लड़ाई को और भी तेज़ करने के लिए ''भूमि अधिकार आंदोलन'' का गठन किया। व्यापक गोलबंदी व श्रमिक संगठनों के साथ ताल-मेल के साथ ही यह आंदोलन चला। जिसका सीधा असर संसद के अंदर विरोधी पार्टियों में दिखाई दिया। जिसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार को पीछे हटना पड़ा और भू अध्यादेश को रद्द करना पड़ा। इस तरह के मोर्चे के गठन द्वारा ही सरकार की भूमि अधिग्रहण नीतियों को भू-अधिकार आंदोलन के तहत गति तेज़ कर इस राजनैतिक संघर्ष को तेज़ किया जा सकता है, जो कि देश की मौज़ूदा राजनैतिक अर्थव्यवस्था जो कि पूंजीवाद के आगे नतमस्तक है, को पूरी तरह से बदल कर आम लोगों के अधिकारों, उनकी आजीविका व सम्मान की सुरक्षा कर सकता है।

इन्हीं सब मुददों को लेकर भूमि अधिकार आंदोलन द्वारा वनाधिकार के मुद्दे पर मूलतः भू-अधिकार का मुद्दा है। इसलिए 15 दिसम्बर 2016 को वनाधिकार कानून की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर''वनाधिकार दिवस'' को चेतावनी दिवस के रूप में दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित किया गया ।

खण्ड में सीएनटी व एसपीटी एक्ट में संशोधनों के विरोध में जन संगठनों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर 2016; झारखंड में सीएनटी व एसपीटी एक्ट में संशोधनों के विरोध में सीएनटी/ एसपीटी एक्ट बचाओ आंदोलन, दिल्ली चेप्टर के बैनर तले जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया।

मोदी सरकार ने केंद्र में आने के तुरंत बाद से ही अपना कॉर्पोरेट समर्थक चरित्र साफ करना शुरु कर दिया था। देश में देशी-विदेशी कॉर्पोरेट के मुनाफे को बढ़ाने की राह में अब तक सबसे बड़ी अड़चन इस देश का संविधान बन रहा था जिसमें इस देश की आम मेहनतकश किसानों, आदिवासियों, मजदूरों इत्यादि के हक में तमाम तरह के कानून थे। पहले की भी सरकारों ने इन कानूनों का उल्लंघन कर कॉर्पोरेट ताकतों का ही साथ दिया था किंतु इन कानूनों की वजह से कॉर्पोरेट्स का काफी समय और ताकत बर्बाद हो रही थी जिसका सीधा अर्थ होता है मुनाफे का प्रभावित होना। अतः जब 2014 में मोदी सरकार आई तो उसने अपनी कॉर्पोरेट पक्षधरता को और दृढ़ दिखाने के लिए सीधे-सीधे इन कानूनों में ही परिवर्तन करना शुरु कर दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर वह चाहे पर्यावर्णीय कानून हो या फिर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण अध्यादेश। हर संशोधन ने प्राकृतिक संसाधनों की लूट को और उत्तरोत्तर सुगम ही बनाया।

इसी क्रम में अब नम्बर आया झारखंड में आदिवासियों की भूमि सुरक्षा के लिए बना कानून छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी) 1908 , तथा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी), 1949. यह दोनों ही कानून एक सदी से भी ज्यादा समय से झारखंड के स्थानीय निवासियों तथा आदिवासियों की जमीनों को बाहरी लोगों से सुरक्षित रखा था। हालांकि इस नियम के तहत भी कॉर्पोरेट्स को जमीन को सौंपी जा रही थी लेकिन इसके लिए प्रशासन समेत इन कॉर्पोरेट्स को खासी मशक्कत करनी पड़ती थी।

23 नवंबर 2016 को झारखंड राज्य सरकार ने इन दोनों ही कानूनों में संशोधनों को मंजूरी दे दी। सीएनटी की धारा- 21 धारा- (1) 49धारा 49 (2) व धारा -) 71ए) में संशोधन किया गया है। धारा 21 में संशोधन के पश्चात गैर-कृषि भूमि को बेचा सकता है। इन विनियमों के लिए नियम बनाने का तथा भूमि अधिसूचित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। अब सरकार के पास करने के लिए सिर्फ यह रह गया है कि वह किसी भी भूमि को गैर-कृषि भूमि घोषित कर दे। जो पहले भी बड़े आराम से होता आया है। राजस्थान में खड़ी फसल की भूमि को कागजों में बंजर घोषित कर दिया गया था।

धारा 49 (1) धारा 49 (1) में कहा गया है कि कोई भी जोत या जमीन मालिक सरकारी प्रयोजन हेतु सामाजिक, विकासोन्मुखी एवं जनकल्याणकारी आधारभूत संरचनाओं के लिए अधिसूचित की जानेवाली परियोजनाओं के लिए जमीन हस्तांतरित कर सकेंगे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में टाटा द्वारा अधिग्रहित जमीन की वापसी का आदेश देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने खुद “सरकारी प्रायोजन” शब्द के संदर्भों पर सवाल उठाए थे। एसपीटी की धारा 13 में हुए संशोधन भी राज्य सरकार को यह अधिकार देते हैं कि वह गैर-कृषि भूमि को अधिसूचित करे तथा उसके विनिमय के लिए नियम बनाए।

हम सभी इस बात को भली-भांति जानते हैं कि यह तमाम संशोधन कॉर्पोरेट के मुनाफे को सुगम बनाने के लिए ही किया जाता है। आज जरूरत है कि इन संशोधनों के खिलाफ लड़ रही झारखंड की जनता के संघर्ष को और मजबूत किया जाए।

हरियाणा

गोरखपुर परमाणु परियोजना के विरोध में यात्रा

साथियों,

जापान के फुकुशिमा में हुई भयावह दुर्घटना को अब छः साल होने के मौके पर कुछ बातों पर हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं.

जापान जैसे उच्च तकनीक वाले देश में 2011 में फुकुशिमा में आए भूकंप से शुरू हुई परमाणु हादसा अब तक जारी है। संयंत्र में बहुत ज़्यादा तापमान और जानलेवा विकिरण बना हुआ है जिसके आनेवाले लंबे समय तक ठीक होने की उम्मीद नहीं आई, क्योंकि विकिरण वाले कचरे की उम्र सदियों तक होती है। इलाके के एक लाख से अधिक लोग अब तक निष्कासित हैं, और उनके अपने घरों और ज़िंदगियों में वापस जा पाने की संभावना न के बराबर है, जैसे कि रूस के चेर्नोबिल में हादसे के 30 साल बाद भी पूरा 30 किलोमीटर का दायरा जनशून्य है।

परमाणु दुर्घटना और किसी भी अन्य दुर्घटना में अंतर यह होता है कि परमाणु दुर्घटना शुरू होती है ख़त्म नहीं होती. किसी और औद्योगिक या प्राकृतिक त्रासदी में अगले दिन या अगले घंटे से ही राहत और पुनर्निर्माण शुरू हो जाता है, लेकिनपरमाणु दुर्घटना की स्थिति में यह असंभव है क्योंकि आने वाले सैकड़ों- हज़ारों सालों तक पूरा इलाका विकिरण से विषाक्त हो जाता है. यह अदृश्य विकिरण अपने मूल स्रोत के पास तो इतना घातक होता है कि वहाँ पहुंचने पर मिनटों में जान जा सकती है. फुकुशिमा के चार साल बीतने पर यह संभव हुआ कि उस अभिशप्त बिजलीघर में रोबोट भेजे जाएं, क्योंकि अब तक इतने सघन विकिरण में काम कर सकें ऐसी मशीनें नहीं बनी थीं, लेकिन इस साल जनवरी में जब पहली बार एक छोटा रोबोट भेजा गया तो उसने न घंटों के अंदर ही दम तोड़ दिया, वहाँ विकिरण की मात्रा इतनी अधिक थी.

राजधानी दिल्ली से सिर्फ 150 किमी की दूरी पर बन रहे खतरनाक परमाणु बिजली कारखाने के विरोध में जन-अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मार्च 4 से 6, 2017 तक हरियाणा में परमाणु-विरोधी यात्रा का आयोजन किया गया।

फतेहाबाद जिले में लगाया जा रहा यह गोरखपुर परमाणु प्रोजेक्ट देश का सबसे बड़ा परमाणु बिजली प्लांट होगा, जिसकी डिज़ाइन भारतीय है। स्थानीय लोगों को विस्थापित और पर्यावरण को दुष्प्रभावित करने की समस्या के अलावा इस योजना का विरोध मुख्यतः इस कारण किया जा रहा है कि यह कारखाना बेहद खतरनाक और असुरक्षित है। परमाणु प्लांटों में अनिवार्यतः हज़ारों डिग्री अनावश्यक तापमान पैदा होता है, जिसको ठंडा कर भाप से बिजली बनती है। इस काम के लिए इन अणु-भट्ठियों को बड़ी मात्रा में पानी की ज़रुरत होती है, जिसका हरियाणा में अभाव है। गोरखपुर में बन रहे कारखाने के लिए पानी का स्रोत सिर्फ एक छोटी सी भाखड़ा नहर है, जिस पर इलाके के किसानों का जीवन निर्भर है। उनसे छीनकर परमाणु प्लांट में इस्तेमाल होने वाला यह पानी किसी दुर्घटना की स्थिति में अपर्याप्त पड़ेगा, जिससे भयंकर हादसा होने का खतरा है।

हरियाणा के फतेहाबाद जिले में भी एक ऐसा ही परमाणु कारखाना लगाया जा रहा है जिससे दिल्ली पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं. फतेहाबाद के किसान, ग्रामीण और आम लोग पिछले चार बरसों से इस प्रस्तावित प्लांट का विरोध कर रहे हैं. इस लंबे संघर्ष में तीन किसान साथियों ने अपनी जान भी गंवाई है. 2012 में जिस हफ्ते हज़ारों लोगों ने प्लांट को पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए आयोजित फर्जी सरकारी जनसुनवाई का मुखर विरोध किया और अफसरों को गाँव छोडने पर मजबूर किया, उसी

समय मुट्ठी-भर भूस्वामियों को डरा-धमका और फुसला कर सरकार जमीन अधिग्रहीत करने में सफल रही और इस बात को ऐसे प्रचारित किया कि इस परियोजना को इलाके के लोगों का समर्थन हासिल है. सरकारी दमन और कानूनी दांवपेंच का सहारा लेकर खड़े किए गए इस जनसमर्थन के दावे की पोल इस बात से खुल जाती है कि पिछले एक साल में इलाके में आंदोलन का और विस्तार हुआ है - गोरखपुर के आस-पास के तीस ग्राम-पंचायतों ने परियोजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए हैं, पिछले साल गर्मी में नहर सूखने से लोगों का ध्यान इस खतरे की और आकृष्ट हुआ और हज़ारों की संख्या में लोग फिर से गोलबंद हुए. इन आन्दोलनों में कई राष्ट्रीय स्तर के समाजकर्मियों ने भी शिरकत की और अपना समर्थन दिया है.

इस प्लांट का विरोध किसी राजनीतिक कारण या किसी 'विकास-विरोधी' रवैये के तहत नहीं हो रहा बल्कि देश में किसानों और गरीबों को तबाह कर जिस किस्म के खतरनाक और पर्यावरण-विनाशी औद्योगीकरण का चलन शुरू हुआ है, हम उसका विरोध कर रहे हैं और हम ऐसा विकास चाहते हैं जिससे देश के गरीबों और पूरे इलाके का भला हो न कि कंपनियों को बिजली और मुनाफ़ा मिले और इसके लिए आम लोग विस्थापित और उत्पीड़ित किए जाएँ. गोरखपुर प्लांट से जुड़े खतरे, इसके पर्यावरणीय प्रभाव, पूरे इलाके की फसलों और जीव-जंतुओं पर होने वाले नुकसान, सिर्फ कृषि हेतु निर्मित भाखड़ा नहर के पानी के अवैध दोहन और फुकुशिमा के बाद दुनिया भर में परमाणु तकनीक से पीछा छुटाने के दौर में भारत सरकार द्वारा इस खतरे की अनदेखी जैसे महत्वपूर्ण सवाल पिछले चार साल से इस आंदोलन के केन्द्र में रहे हैं.

गोरखपुर परमाणु परियोजना का विरोध क्यों –

- गोरखपुर परियोजना में सबसे बड़ा खतरा इस प्लांट के लिए पानी का नाकाफी होना है. परमाणु संयंत्रों के साधारण संचालन के समय भी बहुत अधिक पानी की ज़रूरत होती है और फुकुशिमा दुर्घटना की स्थिति में हमने देखा है कि समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण उनको पानी मिल पाया और उसमें वहाँ भी नमकीन पानी मिलने के कारण तीन संयंत्रों में विस्फोट हुए. गोरखपुर परियोजना के लिए पानी का प्रावधान भाखड़ा नहर से किया गया है जो इस इलाके के किसानों की प्राणधारा है. इस नहर से 320 क्यूसेक पानी संयंत्र को दे दिया जाएगा जिससे उसके बाद पडनेवाले एक लाख एकड़ से अधिक की कृषिभूमि की सिंचाई बाधित होगी. गंभीर दुर्घटना की स्थिति में यह पानी बिलकुल नाकाफी होगा और पूरे जिले के साथ-साथ दिल्ली तक खतरनाक रेडियेशन फैलेगा.
- भाखड़ा नहर का निर्माण केवल कृषि कार्य के लिए किया गया है और इस पानी का औद्योगिक इस्तेमाल तीन राज्यों के बीच इस पानी को लेकर हुए समझौते का उल्लंघन होगा.
- एक निर्धारित अवधि के बाद इस नहर को साफ़-सफाई के लिए बंद किया जाता है. ऐसे समय में इस प्लांट में पानी काम होगा और छोटी सी दुर्घटना भी महाविनाश में तब्दील हो सकती है.
- इस प्लांट में खुद सरकार के उन नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है जो परमाणु संयंत्रों के निर्माण हेतु बनाए गए है. उदाहरण के लिए संयंत्र के 1.6 किमी की परिधि में कोई आबादी नहीं होनी चाहिए, अगले 5 किमी के दायरे में बीस हज़ार से ज़्यादा लोगों नहीं होने चाहिए, 15 किमी के दायरे में एक लाख से अधिक की आबादी नहीं होनी चाहिए और उसको आपातकाल में आबादी को तत्काल हटा सकने का प्रबंध होना चाहिए. लेकिन गहन आबादी वाले हमारे इलाके में इन सभी शर्तों का उल्लंघन कर हम सबको भयंकर खतरे में झोंका जा रहा है.
- यह इलाका वानस्पतिक और वन्य बहुलता का क्षेत्र है, खास तौर पर काले हिरन के लिए प्रसिद्ध है जो बिश्नोई समाज के लिए पूज्य है. इस संयंत्र के लिए काजलहेड़ी अभयारण्य को हटाकर प्लांट के अधिकारियों के निवास बनाए जाएंगे.
- इस प्लांट को हाल ही में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय

ने सशर्त मंजूरी दे दी है, लेकिन इससे संबंधित गंभीर सवालों की अनदेखी हुई है. सरकारी पर्यावरण-प्रभाव रिपोर्टें ऐसे संयंत्रों के मामले में मजाक बन चुकी हैं जिनके आधार पर इनको मंजूरी मिलती है. संयंत्र के लिए पानी, प्लांट के विकिरण-प्रभाव, वन्य-जीवों पर असर और परमाणु कचरे के सवाल पर यह रिपोर्ट पूरी तरह खामोश है.

- रिपोर्ट में विकिरण से बचने के इंतजाम की जिम्मेवारी परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड पर डाल दी गयी है. यह बोर्ड अपनी फंडिंग और तकनीकी विशेषज्ञता के लिये उसी परमाणु ऊर्जा विभाग पर निर्भर है जिसका इसे नियमन करना होता है. इस तथ्य के गंभीर खतरे की तरफ हाल ही में कैग (CAG) ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है, जिसकी सरकार अनदेखी कर रही है. भारत में पारदर्शी और जवाबदेह नियमन का पूर्ण अभाव है और इस हफ्ते की एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार परमाणु सुरक्षा के मामले में 25 देशों में से भारत 23वें स्थान पर है, पाकिस्तान भी हमसे आगे है.
- गोरखपुर में लगने वाले 700 मेगावाट के चार प्लांट देश में अब तक बने सबसे बड़े संयंत्र हैं. इस डिजाइन का अनुभव परमाणु ऊर्जा विभाग को बिलकुल नहीं है और वह भी एक छोटी सी नहर के किनारे.
- इस प्लांट से लोगों को रोजगार मिलाने के बड़े दावे किये जा रहे हैं जबकि हकीकत यह है कि सीमित संख्या में उच्च तकनीकी कौशल वाले लोगों को ही रोजगार मिलेगा जबकि लाखों की संख्या में किसान और कृषि-संबंधित कारोबार करने वाले इलाके की जनता सीधे प्रभावित होगी. सिर्फ प्लांट बनने की अवधि में छोटे-मोटे ठेके मिलेंगे जिसके लिए एक दलाल सीमित तबका इसका समर्थन कर रहा है. रावतभाटा, तारापुर, कलपक्कम और अन्य जगहों पर जहां ऐसे संयंत्र बने हैं, स्थानीय आबादी ठगा हुआ महसूस करती है और ऐसे प्लांटों के इर्द गिर्द दूसरे उद्योगों और नौकरियों का इजाफा भी देखने को नहीं मिलता.
- सरकार के परमाणु-प्रेम को लेकर स्वतंत्र विशेषज्ञों और जैतापुर, कूडनकुलम, मीठी विरदी, कोवाडा सरीखी जगहों पर चल रहे आन्दोलनों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. ऐसे समय में जब पूरी दुनिया इस खतरनाक तकनीक से पीछा छुडा रही है और हरित एवं टिकाऊ तकनीकों को अपना रही है, हमारे देश की सरकार अमेरिका, फ्रांस और रूस को किए गए वादे निभाने के लिए परमाणु संयंत्र लगा रही है. गोरखपुर में लग रहा प्लांट वैसे तो स्वदेशी तकनीक का है, लेकिन इन स्वदेशी प्लांटों पर भी सरकार का जोर इसीलिए है कि पूरी ऊर्जा नीति को परमाणु-केंद्रित बनाया जाए जिससे नए रिएक्टर आयातित हों और विदेशी कारपोरेटों का फ़ायदा हो. इस चक्कर में विकेन्द्रीकृत और जन-केंद्रित ऊर्जा एवं विकासनीति का मौक़ा और संसाधन हम खो रहे हैं जो हमारे देश के लिए अधिक ज़रूरी है.
- परमाणु तकनीक के अपने अन्तर्निहित खतरे हैं जिनको कभी खत्म नहीं किया जा सकता. परमाणु दुर्घटनाओं के अलावा इसमें सामान्य संचालन के दौरान होने वाले विकिरण, मजदूरों को होने वाली बीमारियाँ, खतरनाक परमाणु कचरे का मसला और पचास-साठ साल बाद संयंत्र की उम्र पूरी हो जाने के बाद भी इसके अनवरत सुरक्षा के प्रश्न शामिल हैं, जिनका उत्तर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में परमाणु उद्योग के पास नहीं है, इसीलिए हर जगह इन संयंत्रों का विरोध हो रहा है और जापान, जर्मनी, स्वीडन, स्वित्ज़रलैंड, इटली और ताइवान जैसे देशों में जनविरोध के कारण सरकारों को परमाणु कार्यक्रम बंद करने पर मजबूर होना पड़ा है.

हम भिवानी में प्रस्तावित परमाणु कारखाने पुरज़ोर विरोध करते हैं, जिससे अजीतपुर, कितलाना और नीमड़ी गाँवों का विस्थापन और हज़ारों लोगों की जीविका एवं सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है.

बागमती बांध परियोजना के खिलाफ अनशन : बिना मांगे पूरी किए बांध का निर्माण नहीं होने देने का ऐलान

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में चल रही विनाशकारी बागमती बांध परियोजना के खिलाफ गायघाट प्रखंड मुख्यालय पर 7 फ़रवरी 2017 से अनिश्चितकालीन अनशन सत्याग्रह जारी है। अनशन के आज छठे दिन सत्याग्रहियों ने बागमती बांध परियोजना पर तत्काल रोक लगाने व मौजूदा भौगोलिक स्थिति के अनुसार समीक्षा करने की मांग की। इन मागों को पूरा किए बगैर बांध निर्माण कार्य नहीं होने देने का निर्णय लिया गया। प्रस्तुत है सत्याग्रह पर एक विस्तृत रिपोर्ट;

चास-बास बचाओ बागमती संघर्ष मोर्चा के बैनर तले गायघाट प्रखंड मुख्यालय पर 7 फ़रवरी 2017 से प्रदर्शन अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जारी है ।

सत्याग्रहियों ने बागमती बांध परियोजना पर तत्काल रोक लगाने व मौजूदा भौगोलिक स्थिति के अनुसार समीक्षा करने की मांग की। इन मागों को पूरा किए बगैर बांध निर्माण कार्य नहीं होने देने का निर्णय लिया गया। भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेंद्र झा ने कहा कि जहा तक बांध का निर्माण हुआ है,

हम के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह विनाशकारी परियोजना है। माले नेता सह पूर्व जिला पार्षद पति जीतेंद्र यादव ने कहा कि अनशन के दौरान प्रशासन द्वारा परियोजना की पुनर्समीक्षा का वादा किया गया, लेकिन उनके साथ वादाखिलाफी की गई। अध्यक्षता ठाकुर देवेंद्र कुमार ने की, जबकि संचालन जीतेंद्र यादव ने किया। धरने को रामबाबू राय, उपेंद्र सिंह, मो. काली, राधेश्याम सिंह, टीपी सिंह आदि ने भी संबोधित किया। धरने के अंत में मांगों का ज्ञापन बीडीओ को सौंपा गया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

विनाशकारी बागमती बांध परियोजना के खिलाफ मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में सत्याग्रह अनशन आज छठे दिन भी जारी रहा।

एक नजर बागमती परियोजना पर

बागमती परियोजना का निर्माण कार्य तीन स्तरों पर हुआ था। पहला निर्माण कार्य 1954-56 के बीच हायाघाट से लेकर बदलाघाट के बीच बनने वाले तटबंधों से शुरू हुआ। यह समय आजादी के लगभग ठीक बाद का था इसलिए उसकी रवानी में समाज और देश के काम आने की ललक हर आदमी में थी। यह वह समय था जब जनता सम्बंधित विभागों की योजनाओं पर विश्वास करती थी। जो नेता थे वह स्वतंत्रता आन्दोलन के तपे-तपाये लोग थे इसलिए उन पर भरोसा न करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। इस तरह से उस समय पुनर्वास के मसले पर न तो आम लोगों की कोई खास अपेक्षाएं थीं और न ही पुनर्वास को लेकर कोई खास झमेला हुआ।

उन दिनों कोसी परियोजना में पुनर्वास का विषय जरूर कुछ चर्चा में आ गया था मगर निर्माणाधीन बागमती और बूढ़ी गंडक नदियों पर बन रहे तटबंध के समय पुनर्वास किसी चर्चा में नहीं था। वहाँ पुनर्वास के मसले को जैसे-तैसे निपटा देने की ही योजना थी। इस मुद्दे पर विधान सभा की कार्यवाही रपट में भी विशेष कुछ नहीं मिलता और निश्चयपूर्वक कुछ कह सकने वाले लोग भी बहुत कम ही बचे हैं। यह तटबंध बन जाने के कई वर्षों बाद 10 फरवरी 1965 को महावीर राउत ने विधान सभा में यह सवाल उठाया कि गायाघाट के नीचे जो लोग बांध के बीच में पड़ गए हैं उनकी हालत खराब हो गयी है और उनके बसने के लिए जमीन नहीं है। बांध बन जाने के कारण जमीन का दाम बढ़ कर 400 रुपये प्रति कट्ठा हो गया है। गरीब हरिजन इतना पैसा दे नहीं सकते। हसनपुर इलाके में 30-40 गाँवों के लोगों को बसाना होगा और सिंचाई विभाग तथा सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है कि इन लोगों को जमीन दे। उन्होंने इस सवाल को एक बार फिर विधान सभा में 31 मार्च 1965 के दिन भी उठाया जिसके जवाब में सरकार की तरफ से महेश प्रसाद सिंह ने जरूर यह स्वीकार किया था कि करेह नदी के बांध से उजड़े हुए लोगों का कोई प्रबंध नहीं हो पाया है। यहाँ भूमिहीन लोग तटबंध पर ही रह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में निधि के अभाव के कारण अभी तक कोई कार्यवाही

नहीं हो पायी है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निधि के उपलब्ध होने पर पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी। पुनर्वास के इस आश्वासन का मतलब था कि तटबंध का काम तो पहली पंचवर्षीय योजना में हो जाना था मगर पुनर्वास के लिए उसके बाद कम से कम 10 वर्ष इंतजार करना था। बागमती के निचले हिस्से में पुनर्वास का मसला एक बार फिर 17 फरवरी 1966 को उठा जब महाबीर राउत ने ही वहाँ तटबंधों पर बसे लोगों को सरकार द्वारा हटाये जाने की धमकी दिये जाने का सवाल उठाया। उनका कहना था कि ऐसे लोग बड़ी दयनीय स्थिति में जी रहे हैं और वहाँ से हटाये जाने पर उनकी हालत और बदतर होगी। सरकार की तरफ से जो जवाब दिये गए वे गोल-मटोल थे। ग्राम कुण्डल, सिंघिया प्रखण्ड, जिला समस्तीपुर के गंगेश प्रसाद सिंह बताते हैं, "...जब यह तटबंध बन रहा था तब हम लोग बच्चे थे और चौथी-पाँचवीं कक्षा में पढ़ते रहे होंगे। पिताजी बताते थे कि सरकार से मुआवजे की अपेक्षा लोगों को थी मगर सरकार का यह कहना था कि प्रभावित लोगों को बॉण्ड दिया जायेगा। बॉण्ड क्या होता है इसका मतलब ही लोगों को नहीं मालुम था। जो समझते भी थे उनको भी बॉण्ड देने में इतना परेशान किया गया कि वे लोग भी थक हार कर बैठ गए और ककड़ी के मोल जमीन हाथ से निकल गयी। पुनर्वास किसी को मिला नहीं और तटबंध और नदी के बीच रहने वाले अधिकांश लोग तटबंध या उसके बगल की जमीन पर ही घर बना कर रह रहे हैं। इनकी संख्या में हर साल वृद्धि होती है क्योंकि जहाँ-जहाँ गांव नदी की धारा से कटते हैं या डूबते हैं, वहाँ-वहाँ के लोग तटबंध पर चले आते हैं।"

तटबंधों के आस-पास या उनके अंदर जहाँ ऐसी स्थिति है, तटबंधों से दूर भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। पुरानी बागमती का वह रास्ता जिससे वह बूढ़ी गंडक से मिलती थी, उसी के बायें किनारे का गाँव है हथौड़ी, मौजे धोबीपुर टोला, जिला दरभंगा-और यहीं कच्ची सड़क के दूसरी तरफ किशनपुर बैकुण्ठ गांव है, प्रखंड वारिस नगर, जिला समस्तीपुर। यह सड़क ही दोनों जिलों की सीमा बनाती है। बाढ़ के समय यहाँ गर्दन भर पानी रहता है। उस समय लोग यहां से उठ कर गांव के चौक के पास जहाँ सड़क ऊँची है, वहां चले जाते हैं अपने जानवरों के साथ। वहां भी पानी बढ़ता है तो चौकी पर ईटें बिछा कर पहले अनाज बचाते हैं फिर उतनी सी ही जगह में पूरा परिवार रहता है। तब भी अगर पानी बढ़ता है तो वाटरवेज के बांध पर चले जाते हैं। पानी बहुत ज्यादा बढ़ने पर हथौड़ी कोठी के पास करेह नदी के बांध पर जगह मिल जाती है-जो यहां से 2-3 किलोमीटर पड़ता है। कुछ लोग बागमती के बांध पर मधुरापुर चले जाते हैं। तीन महीना इसी तरह यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ बिस्तर हटाने का इंतजाम करते बीत जाता है। अनाज रहता है मगर खाना बनाने का जुगाड़ नहीं बैठता। सारा जीवन नाव, बांस और तैरने पर निर्भर हो जाता है।

यहां पानी करेह का ही आता है भले ही यह नदी गायघाट के नीचे बंधी हुई है मगर इसका तटबंध कहीं न कहीं हर साल टूटता ही है। तटबंध टूटा और यहाँ लोगों की हालत खराब हुई। फिर भी बाढ़ के पानी से फायदा होता है कि फसल अच्छी हो जाती है। इधर दो साल से तटबंध नहीं टूटा है तो किसानों को सिंचाई का इंतजाम करना पड़ रहा है। सरकार की कोई व्यवस्था है नहीं। प्राइवेट बोरिंग से 75 रुपया प्रति घंटा पर सिंचाई होती है। 6 कट्ठा मकई की सिंचाई के लिए साढ़े तीन घंटा पानी देना पड़ता है। क्या बचेगा ऐसे में? स्टेट बोरिंग रहती तो इतना खर्चा नहीं पड़ता मगर उसके लिए भी बिजली चाहिये जिसकी न तो कोई निश्चितता है और न समय। दिन में तीन घंटा भी निश्चित समय तक बिजली रहे और सारे दिन न भी रहे फिर भी किसान का काम चलता मगर इतना भी नहीं हो पाता है। धोबीपुर टोला के लक्ष्मी महतो अपनी हालत बड़े दार्शनिक भाव से बताते हैं, "...मेरे पास जमीन नहीं है।

सीमित वितरण के लिए

संघर्ष संवाद

ए-124/6, दूसरी मंजिल, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016

फोन/फैक्सः 011-26968121/26858940

ईमेलः sangharshsamvad@gmail.com